

(TO PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LABOUR DEPARTMENT

Dated: - 03/12/2025

NOTIFICATION

No. 15(12)/Lab/2022/~~4473~~~~4479~~ In exercise of the powers conferred by Section 99 of the Industrial Relations, Code 2020(35 of 2020) read with S.O. 273(E) dated 16.01.2023 of Ministry of Home Affairs, Government of India, and in supersession of Delhi Trade Union Regulations, 1927, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make the following rules namely Industrial Relations (Delhi) Rules, 2025, and which are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 99, for information of all persons likely to be affected thereby;

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be addressed Labour Department C Block , 5, Sham Nath Marg, Delhi - 110054 and also on email i.e legalbranchlab@gmail.com. The objections and suggestions should be sent in a Performa containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof. The objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Government of National Capital Territory of Delhi."

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement-

- (i) These rules may be called Industrial Relation (Delhi) Rules, 2025.
- (ii) They shall apply to the industrial establishments and matters in relation to which the Appropriate Government is the Government of National Capital Territory of Delhi.
- (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definition- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appropriate Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the constitution.
- (b) "Form" means form appended to the rules.

- (c) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020;
- (d) "Electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated web portal or digital payment in any mode for the purpose of Code.
- (e) "Section" means the sections of the Code;
- (f) "Web Portal" means web portal notified by Government of National Capital Territory of Delhi.
- (g) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding to arrive at a settlement under clause (zi) of section 2.- The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in **Form-I** and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

Chapter II

BI-PARTITE FORUMS

4. Constitution of Works Committee and choosing of representatives of employer and workers engaged in the establishment under section 3-

(1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:-

(2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:

Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –

(i) How many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Authority appointed or notified by the Appropriate Government concerned, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative in the Committee in two following groups, namely:-

(a) Registered Trade Union may choose their representatives as members for works committee in the proportion of their membership.

(b) Where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee.

(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year.

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot:

(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.

(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;

(b) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;

(c) A member who without obtaining leaves from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.

(10) (a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(b) The Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the

members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) The Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

5. Manner of choosing members from the employer and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4-

(1) The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be co- terminus with the tenure of the members of the registered Trade Union.

Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.

(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –

(a) how many of the workers are members of such Trade Union;

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Authority appointed or notified by the Appropriate Government, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:-

(a) Registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership.

(b) Such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4-Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal

Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4 - Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application through Web Portal or by registered post or speed post within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter III

Trade Union

8. The payment of a subscription by members of the Trade Union and donation from such members and others under clause (f) of section 7-The payment of minimum subscription by member of Trade Union which shall not be less than Rs. 100/- per annum.

9. Manner of annual audit under clause (j) of section 7-(1). The annual audit of the account of any registered trade union or federation of union shall be conducted by an auditor authorized to audit the account of companies under section 139 of Companies Act 2013. Provided that where the membership of Trade union did not at any time during the financial year exceed 2500, annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.

(2) The auditor or auditors shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form II indicating separately on that Form under his signature or their signatures, a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in accordance with the Act. The particulars given in this statement shall Indicate-

- a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of the Trade Union or contrary to the provisions of the Act,
- b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person,
- c) the amount of any sum which ought to have been brought but is not brought to account by any person;

10. Form of declaration to be made by an affidavit and the manner of making the same under clause (a) of sub-section (1) of section 8- Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically or by speed post/registered post along with a declaration made regarding the authenticity of information given through an affidavit in Form III.

11. Form of general statement of the assets and liabilities of the Trade Union prepared in such form and containing such particulars under sub-section (2) of section 8- The statement of the assets and liabilities of the Trade Union shall be submitted to the Registrar in Form IV electronically or by speed post/registered post along with a copy of annual audit report.

12. Form of application for registration under sub-section (1), and the form of issuing certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant Trade Union under sub-section (2) of section 9- The application for registration under sub-section (1) of section 8, shall be in Form V and the certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant under sub-section (2) of section 9 shall be in Form VI .

13. Register for entering the name and other particulars of Trade Union under sub-section (3) of section 9 and verification of application of the Trade Union under sub-section (5) of section 9- (1) The Registrar after issuing the certificate of registration shall register the name and other particulars of the Trade Union by entering in a register, to be maintained in Form-VII for the purpose of sub-section (3) of section 9.

(2) The certificate of registration of Trade Union issued by Registrar may be withdrawn or cancelled after the verification done by the Registrar on the grounds mentioned in sub section 5 of section 9.

14. Period within which appeal is to be preferred by Trade Union to Tribunal under sub-section (1) of section 10- If an application is refused by the Registrar for granting registration or cancel registration under Sub-Section (5) of Section 9, the person aggrieved may file appeal to the Tribunal within the period of 30 days from the date of refusal of application or cancellation of certificate.

15. Manner of sending the communication and notices under sub-section (1) and the manner to inform the Registrar under sub-section (3) of section 11- (1). All communication and notices to the registered Trade Union shall be sent by the Registrar to the address of the head office of the Trade Union as entered in the register in Form VII through registered post or electronically.

(2). All communication to the Registrar by the Trade Union for the purpose of Sub- Section (2) and Sub-Section (3) of Section 11 shall be through registered post or through electronic mode.

16. Matters on which negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment may negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) and the criteria to be followed by the employer of industrial establishment under sub-section (2) of section 14- (1). The negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment having registered trade union for negotiating with the employer of the industrial establishment may negotiate on issues related to terms of employment or condition of services.

(2). In case where an industrial establishment has only one registered Trade Union, the employer of such industrial establishment shall recognize such registered Trade union as sole negotiating union, only if at the time of initiation of negotiation, more than 25% of the total

workers of the industrial establishment are the members of that registered Trade Union.

17. Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under sub-section (7) of section 14- (1). The verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) of Section 14 shall be made in presence of authority as notified by Appropriate Government.

(2) the employer of the industrial establishment shall provide reasonable space for negotiation to the recognized negotiating union or negotiating council, as the case may be.

18. The objects under sub-section (1) and sub-section (2) and the subscription payable under sub-section (4) of section 15- The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely: -

- (a) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union;
- (b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;
- (c) the prosecution or defense of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defense is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs;
- (d) the conduct of industrial disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof;
- (e) the compensation of members for loss arising out of industrial disputes;
- (f) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;
- (g) the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness, accident or unemployment;
- (h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;
- (i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such;
- (j) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and
- (k) subject to any conditions, any other object notified by the Appropriate Government in the official Gazette.

19. Manner of making application for adjudication before the Tribunal under sub-section (1) of section 22- For the purpose of Sub-Section (1) of Section 22, the application for adjudication before the Tribunal shall be made in Form VIII.

20. Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24- (1). On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the head office of the amalgamated trade union is in the Government of National Capital Territory of

Delhi, the Registrar shall consult the Registrar of Trade union in other state so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub-section (6) of Section 24.

(2). When the amalgamated trade union is registered under sub-section (6) of Section 24, it shall be assigned a number in the register in Form VII and the Registrar shall issue a new certificate in Form VI. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form VII and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrar of the Trade union so amalgamated in other State, if any.

21. Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub-section (2) of section 25-Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of section 25, to distribute the funds of a trade union which has been dissolved. He shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal dependents.

22. The date before which a general statement shall be forwarded annually to the Registrar, the particulars to be contained in general statement and its Form, the person by whom and the manner in which such general statement shall be audited under clause (a) of sub-section (1) of section 26-The annual return to be furnished under section 26 shall be submitted electronically or by Speed/Registered post to the Registrar by the 31st day of July in each year and shall be in Form IX.

23. Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions by the State Government as a State Trade Union at the State level and the authority and the manner of deciding dispute by it under sub-section (2) of section 27-

(1). The Appropriate Government may recognize any Trade Union or Federation of Trade union as State Trade Union if the Trade union or Federation of Union has at least a combined verified membership of twenty thousand or more and the membership presence is in at least four types of industries in the State.

(2) The Appropriate Government may give preference to those Trade Unions which are recognized as State Trade Union for the purpose of constitution of any tripartite forum formed under the provision of different codes or otherwise.

(3) In case of any dispute in relation to the recognition of State Trade Union, the Tribunal constituted under the provision of the said code, shall be the final authority for adjudicating the dispute.

Chapter IV STANDING ORDERS

24. The manner of forwarding information to the certifying officer under sub-section (3) of section 30 and the period within which the amendment of standing order is to be done as observed by the certifying officer under the proviso thereof -

(1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically or through registered post the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant

to his establishment have been adopted.

(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

25. Manner of choosing representatives of the workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer, where there is no Trade Union operating, under sub-section (5) and the manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30-

(1) Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (ii) of said sub-section (5), then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

(2) Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, by signing and affixing stamp and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

26. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.- A statement to be accompanied with-

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and

(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

27. Conditions for submission of draft standing orders by group of employers in similar establishment under sub-section (10) of section 30- In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade union.

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Commissioner of Labour who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to

certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefore.

28. Manner of disposal of appeal by the appellate authority under section 32:-

- (1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically to the appellate authority.
- (2) - The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given –
 - (a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;
 - (b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and
 - (c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.
- (3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.
- (4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.
- (5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

29. The manner of sending copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) and the language and the manner of maintaining standing order under sub-section (2) of section 33:-

- (1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically or through registered post except in the case of deemed certification under section 30.
- (2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English.

30. Form of register for filing finally certified standing orders by the certifying officer and fee for furnishing certified copy of such orders under section 34- (1) The certifying officer shall maintain electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

- a. the unique number assigned to each standing order;
- b. name of industrial establishment;
- c. nature of industrial establishment;
- d. date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;
- e. the areas of the operation of the industrial establishment; and
- f. such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

31. Application for modification of standing orders to be made before certifying officer under sub-section (2) of section 35 - The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

Chapter V

NOTICE OF CHANGE

32. The manner of giving of notice of the nature of the change proposed to be effected under clause (i) of section 40-

(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in **Form-X** to such worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

Chapter VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

33. Form of arbitration agreement and the manner to be signed by the parties thereto under sub-section (3) of section 42 -

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in **Form-XI** and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.-

(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;

(iii) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member:

Explanation- (1) In this rule, the expression officer means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;

- (2) In this rule "officer" means any of the following officers, namely:-
- a) the President;
 - b) the Vice-President;
 - c) the Secretary (including the General Secretary);
 - d) a Joint Secretary; and
 - e) Any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

34. Manner of issuance of notification where an industrial dispute has been referred to arbitration under sub-section (5) of section 42 - Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the Appropriate Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

35. Manner of choosing representatives of the workers where there is no Trade Union under the proviso to sub-section (5) of section 42- Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in **Form-XII** authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

Chapter VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

36. Manner of filling up the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and conditions of Judicial Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44 –

1) The judicial member shall be appointed by the Appropriate Government on the recommendation of Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2) of this rule.

2) The search cum selection committee shall comprise of the following members, namely:

i) The Chief Justice of High Court of Delhi or a Judge of High Court nominated by him - Chairperson.

ii) Chief Secretary or Secretary nominated by Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi- Member;

iii) Sitting Judicial member of the other Industrial Tribunal.

iv) Principal Secretary/ Secretary, Labour Department, GNCTD – Member;

(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(4) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a

(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(4) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum-Selection Committee.

(5) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(6) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the Appropriate Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(7) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(8) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi, holding Group A post carrying the same pay.

(9) (a) The Appropriate Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.

(b) The Appropriate Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member.

(10) Delhi Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(11) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(12) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(13) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(14) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the Appropriate Government in this behalf.

(15) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Appropriate Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the Appropriate Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any mis-behaviour or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such further time as may be specified by the Appropriate Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the Appropriate Government stating therein its findings and the reasons therefor on

each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(16) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Appropriate Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the Appropriate Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(17) (a) The Appropriate Government shall, on the recommendation of Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who,-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(18) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the **Form-XIII** annexed to these rules.

(19) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the Appropriate Government for its decision, and the decision of the Appropriate Government thereon shall be binding.

(20) The Appropriate Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

37. Manner of filling up the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and conditions of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44:-

1) The Qualification for appointment of the Administrative member of the Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) shall be such as given in sub section (5) of section 44.

2) The Administrative Member shall be appointed by the Appropriate Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3) of this rule.

3) The Search Cum Selection Committee for administrative member shall comprise of the following members, namely:

i) The Chief Justice of High Court of Delhi or a Judge of High Court nominated by him - Chairperson.

ii) Chief Secretary or Secretary nominated by Chief Secretary, Government of National

Capital Territory of Delhi- Member;

iii) Sitting Administrative Member of other Industrial Tribunal.

iv) Principal Secretary/ Secretary, Labour Department, GNCTD – Member;

4). The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.

5) A person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member of the Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) unless- he holds or has held the post of Joint Secretary and above in Govt. of NCT of Delhi for at least three years

(6) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.

(7) An administrative member shall hold office for a term of 4 years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier

(8) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the Appropriate Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(a) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 1,75,000/- per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Appropriate Government of Delhi holding Group A post carrying the same pay

(b). In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(c). In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960.

(d). Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(e). In case of serving Government officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.

(f) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi, holding Group A post carrying the same pay.

9. (a) The Appropriate Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.

(b) The Appropriate Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member

10. Health facilities equivalent to Delhi Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

11 (a) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment

shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

12. An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

13. No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the Appropriate Government in this behalf

14. (a) If a written and verifiable complaint is received by the Appropriate Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint

b) If on preliminary scrutiny, the Appropriate Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

c). The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such further time as may be specified by the Appropriate Government.

d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the Appropriate Government stating therein its findings and the reasons therefore on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

15. An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Appropriate Government Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the Appropriate Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier

16 The Appropriate Government shall, on the recommendation of the Search Cum Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude, or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or

(e). has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

17. Every person appointed as Administrative member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the **Form-XIII** annexed to these rules.

18. The Appropriate Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), form of full report under sub-section (4), and the form of application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.- (1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of the any other conciliation officer, shall transfer the dispute to the concerned conciliation officer. In other cases, he will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(i). The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.

(2) (i) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(ii) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on Web Portal within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said Web Portal.

(2) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said Web Portal.

(3) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(4) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form-XIV before the Tribunal through Web portal within ninety days from the date of the report under sub-rule (2).

(5) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the online portal or may be sent by registered post for service on each of the opposite parties in the dispute.

(6) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(7) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the

Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(8) Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(9) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(10) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(11) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(12) The Tribunal shall communicate its Award electronically to the parties concerned and the Appropriate Government and upload on the online portal within one month from the date of the pronouncement of the award.

(13) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 384, 385 and 387 of theBhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 .

(14) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding.

(15) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal, as the case may be, in the following manner, namely :-

(16) (a) Fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of Rs. Two per page.

(b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Rs. Two per page shall be payable.

(c) Copying and certifying fees shall be payable electronically.

(d) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(18) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing.

Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or

its proceedings be held in-camera.

Chapter VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

39. The number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given, and the manner of giving such notice, under sub-section (4) of section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in **Form-XV** which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned conciliation officer, Authority appointed or notified by the Appropriate Government.

40. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62. -

(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in **Form-XVI** to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Joint Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour of the district concerned and to Commissioner of Labour, GNCT of Delhi. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer, Authority appointed or notified by the Appropriate Government.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically or through registered post the same to the conciliation officer, Joint Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour of the district concerned and to Commissioner of Labour, GNCT of Delhi.

Chapter IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

41. Manner of serving notice before retrenchment of a worker employed in the industry who has been in continuous service for not less than one year by an employer on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification under clause (c) of section 70 - If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in **Form-XVII** to the GNCT of Delhi, and the concerned Authority appointed or notified by the Appropriate Government through e-mail or, by registered or speed post.

42. Manner in which the employer shall give an opportunity to the retrenched workers who are citizens of India to offer themselves for re-employment under section 72- Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial

establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

43. Manner in which the employer shall serve notice on the appropriate Government stating clearly the reasons for the intended closure of the undertaking under sub-section (1) of section 74— If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in **Form-XVII** to the Appropriate Government and a copy thereof to the concerned Joint Commissioner of Labour or Deputy Commissioner of Labour by e-mail or registered post or speed post.

Chapter X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

44. Manner of making application by the employer stating clearly the reasons for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78- An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in **Form- XVIII** stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

45. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.- The Appropriate Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

46. Manner of making application by the employer stating clearly the reasons for the intended retrenchment and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.- An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in **Form- XVII** stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically or through registered post and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

47. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.- The Appropriate Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

48. Manner of making application by the employer stating clearly the reasons for the intended closing down of an undertaking of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in **Form XVIII** for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the Appropriate Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such

application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

49. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The Appropriate Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

Chapter XI

WORKER RE-SKILLING FUND

50. Contribution from such other sources to be made to the worker re-skilling fund under clause (b) of sub-section (2) of section 83 :- The appropriate government may notify the other sources of the fund.

51. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.- Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Labour Department), the Appropriate Government. The fund so received shall be transferred by the Appropriate Government of Delhi to each worker or workers' account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the Appropriate Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter XII

OFFENCES AND PENALTIES

52. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.-

(1) The officer notified by the Appropriate Government for the purpose of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice electronically/through web portal to the accused in Form XIX consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall inter-alia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

- (a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and
- (b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause
- (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.
- (5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the Appropriate Government.

Chapter XIII

MISCELLANEOUS

53. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognized as protected workers. Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such workers to be "protected workers" for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognized as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognize as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, the dispute shall be referred to the concerned Authority appointed or notified by the Appropriate Government, whose decision thereon shall be final.

54. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.- (i) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in **Form-XX** and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(ii) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

55. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94. - Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in **Form-XII**.

56. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94. - Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in **Form-XII** an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

57. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- (1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by Authority appointed or notified by the Appropriate Government.

Issue of Notice. If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically or through registered mail to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(2) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(3) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(4) **Authorization.**—The authorization to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(5) **Permission to appear**—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order

on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(6) Presentation of documents— Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.

(7) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(8) Refusal to entertain complaint —

(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—

(a) The complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) The complainant is barred by limitation under the provisions of this Code

(c) The complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

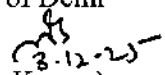
(9) Record of proceedings— The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(10) Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(11) Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(12) Inspection of documents—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.

By order and in the name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi


(Ashok Kumar)
Secretary (Labour)

No. 15(12)/Lab/2022/.4473-4479

Dated 03/12/2025

Copy forwarded for information to:-

1. Pr. Secretary to The Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. Secretary to The Hon'ble Chief Minister, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister of Labour, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. All Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner, GNCTD to Inform the Stake-Holders about this notification.
5. Deputy Secretary (Gad) With request to publish it in Delhi Gazette Extra Ordinary Part-IV.
6. Deputy Director (IT), Labour Department, GNCTD to upload it on the website of Labour Department.
7. Guard File.

Form - I
(See Rule 3)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding)
Names of Parties:

..... Representing employer(s);

..... Representing workers;

Short recital of the case

Terms of settlement

.....

.....

Witness	
1	
2	
3	
4	
Signature of Conciliation officer	

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation preceding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Labour Commissioner/Joint Labour Commissioner.

Form - II
[See rules 9(2)]
Form of Auditors' Declaration

The undersigned having had access to all the books and accounts of the
Union, and having examined the foregoing statement and verified the same with the account
vouchers relating thereto, certify that the Union has properly maintained its Member ship
registers and its accounts and the member had paid their membership subscriptions to the
..... Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of
the Union subject to the remarks, if any appended hereto.

Auditor

FORM - III
(See Rule - 10)
(Form of Affidavit)

I, _____ S/O _____ Sh. _____ R/o _____
Age _____ yrs do hereby

solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am the elected /designated(post) of __ (Name of Trade Union) with its Head Office situated at _____ (Address of Trade Union).
2. That to the best of my knowledge and belief no Union / Association by the name of “_Union(Name of Union)” is registered in GNCT of Delhi or anywhere in India.
3. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, GNCT of Delhi.
4. That no member or office bearer has ever been convicted by Courts of India for any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment.
5. That all particulars supplied as per Forms and Schedules as well as other documents are true.
6. That the scope of the Union shall be for the employees of -----
(Name of Establishment)
7. That there are ----- employees are working in -----
----- (Name of Establishment) and out of which -----
employees are members of our union.
8. That I shall furnish such other documents and/or information as required by the Registrar for the purpose of this application.
9. That this is my true statement and it conceals nothing and that no part of it is false.
10. That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/ document furnished is found to be false, frivolous or incorrect.
11. That the list of Trade Union Member along with attested Aadhaar Number for verification is appended with the affidavit and no member has been compelled or force to share the Aadhar.

DEPONENT

Verification:-

Verified at ____ (Place) on ____ (Date) that the contents of the
above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

DEPONENT

FORM - IV
(See Rule - 11)
(Statement of Assets and Liabilities)

Statement of Liabilities and Assets on the.....day of.....20.....
 [This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration.]

Liability	Rs.	Assets	Rs.
Amount of general fund political fund Loans from Other liabilities (to be specified)		Cash In hands of Treasurer In hands of Secretary In hands of In the Bank In the Bank Securities as per list below Unpaid subscriptions due Loans to..... Immoveable property.....	
Total liabilities		Goods and furniture..... Other assets (to be specified) Total Assets	

List of Securities			
Particulars	Nominal value	Market Value	In hands of
Signed:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

FORM - V
(See rule 12)
Application for Registration of Trade Union.

Dated the day of 20.....

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of
2. The address of the head office of the union is
3. The union came into existence on the day of 20
4. The union is a union of employer/ workers engaged in the industry (or profession).
5. Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically or by speed post/ registered post and be accompanied by—*
 - (a) a declaration to be made by an affidavit in such Form and manner as may be prescribed;
 - (b) copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the Trade Union adopting such rules;
 - (c) a copy of the resolution adopted by the members of the Trade Union authorizing the applicants to make an application for registration; and
 - (d) in the case of a Trade Union, being a federation or a central organization of Trade Unions, a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organization of Trade Unions.
 - (e) list of all members of Trade Union alongwith.
6. We have been duly authorized to make this application by**

.....	Signature	Occupation
Signed 1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

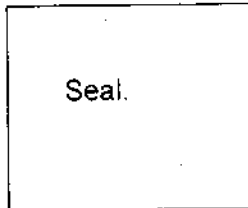
* Explanation.—For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union means, in the case of a Trade Union, being a federation or a central organization of Trade Unions, the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately.

** State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in what other way it was given.

FORM - VI
(See rule 12)
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION.

No.

It is hereby certificate that the has been registered under the
Industrial Relation Code, 2020 this day of 20



FORM - VII
[See rule 13(1)] REGISTER OF TRADE UNIONS.

1. Serial number.
2. Date of registration.
3. (a) Name of the members making the application.
(b) Occupations of members making the application.
(c) Addresses of the members making the application.
4. Name of trade Union.
5. Address of the head office of trade Union.
6. Date of establishment of Trade Union.
7. Officers of Trade Union- Title Name Age Occupation Address
8. Signature of the Registrar.
9. (a) Whether provision has been made for a separate fund under section 16 and, if so, from what date.
(b) Initial of the Registrar.
10. (a) Date of intimation for alteration of rules.
(b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade Union.
(c) Initials of the Registrar,
11. (a) Date of registration of change of address of registered office.
(b) Address of the Trade Union as changed.
(c) If the changed address is in another District/State whether extracts of registration sent to the Registrar of the other province.
(d) Initials of the Registrar.
12. (a) Date of registration of change of name.
(b) Name of the Trade Union as changed.
(c) Initials of The Registrar.
13. (a) Date registration of amalgamation.
(b) Name of the amalgamated union.
(c) Registration number of the amalgamated Union.
(d) Initials of the Registrar.
14. (a) Date of application for cancellation of registration under section 9 (5)(i).
(b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under proviso of section 9(5)(iii).
(c) Date of issue of order withdrawing or cancelling registration.
(d) Initials of the registrar.
15. (a) (1) Names of the members applying for dissolution.
(2) Occupation of the members applying for dissolution.
(3) Address of the members applying for dissolution.
(b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect.
(c) Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under section 25(2) if any.
(d) Initials of the Registrar.

FORM - VIII
(See Rule 19)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer)

Before..... (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)

In the matter of:

..... Applicant

Address.....

Versus

..... Opposite party (ies)

Address.....

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date

Place

FORM IX.
(See rule 22).
PART A.

Annual returns prescribed under section 26 of the Industrial Relation Code, 2020 for the year ending 31st July, 20....

1. Name of the union
2. Address of the union
3. Registered Head office
4. Number and date of certificate of registration
5. Classification of industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs:-.....

- (a) Public Sector - Central Sphere;
- (b) Public Sector - State Sphere;
- (c) Private Sector - Central Sphere; and
- (d) Private Sector - State Sphere).

6. Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.
7. Affiliation Number.
8. Affiliation fee paid during the year.
9. Number and date of receipt for payment of affiliation fee.
10. Membership fee per month
11. No. of members on books at the beginning of the year.
12. No of members admitted during the year.
13. No. of members who left during the year.
14. No. of members on book at the end of the year (i.e., 03 31st march 19)- Male -

.....

Female-

Total -

15. No. of member contributing to political Fund.
16. No. of members who paid their subscription for the whole year.

A copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch of this return is appended.

17. Part B of return has been duly completed.

Secretary.

PART B.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of July 20.....

Liabilities	Rs.	Assets-Rs.
Amount of General Fund		Cash-
Amount of Political Fund		In hands of Treasurer
Loans from		In hands of Secretary
		In hands of-
		In the Bank
		Securities as per list Below-Unpaid
		subscription due for-
		(a) the year
		(b) previous year Loans to-
Debts due to		(a) Officers
		(b) Members
		(c) Other

Other liabilities (to be specified) Immovable property

Good and furniture

Other assets (to be specified)

Total liabilities Total assets

List of Securities.

Particulars.	Face value.	Cost price.	Market price at date on which accounts have been made up.	In hands of.
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	

Treasurer.

Officers appointed

Name	Date of birth	Private address	Personal occupation	Title of position held in Union	Date on which appointment in column 5 was taken up	Other offices held in addition to membership of executive date.
1	2	3	4	5	6	7

Elections.

Date of last election of office-bearers

Date of next election of office bearers

Secretary

FORM-X
[See Rule 32]

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer.....

Address.....

Dated the day of 20.....

In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code

Signature.....

Designation

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected) Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.
2. Concerned Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner.

FORM-XI
(Agreement for voluntary arbitration) [See Rule 33 (1)]

BETWEEN

.....Name of the parties representing employer (s) And
.....Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of

.....

[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters in dispute.

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.

(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.

(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of

(here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the Government of National Capital Territory of Delhi or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing.

In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers. Witnesses

1.

2.

Copy to: (i) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned].

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Labour Department.

FORM-XII

(See Rule 35, 55,56)

(Authorization by a worker, group of workers, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding)

.....workers

Versus

.....Employer

I/we hereby authorize Shri / Sarvashri (if representatives are more than one)

1.....2.....3 to

represent me/us in the above matter.

Dated this.....day of.....20.....

Signature of person(s) nominating the representative(s) Address Accepted

FORM-XIII

[See Rule 36, 37]

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of Industrial Tribunal

I..... having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

Signature

Place: Date:

FORM-XIV
(See Rule 38)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the
Conciliation Officer)

Before..... (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over
the area) In the matter of:

..... Applicant
Address.....

Versus

..... Opposite party

Address.....

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant
facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication
and request to pass appropriate Award.

Date

Place

Form-XV
[See Rule 39]

(Notice of Strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers) Name of
five elected representatives of workers.....

Dated the.....day of.....20.....

To

(The name of the employer). Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial
Relation code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go
on strike on 20....., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully, (Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting
held on

..... (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE
Statement of the Case.

Copy to;

- 1) Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner of the concerned area .
- 2) Labour Commissioner, GNCT of Delhi

FORM-XVI**[See Rule 40]**

(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer

Address.....

Dated the.....day of.....20.....

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in.....department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.....for the reasons explained in the annexure.

Signature.....

Designation.....

ANNEXURE

1.	Statement of reasons
----	-----------------------------

Copy forwarded to:

- (1) The Secretary of the Registered Union, if any
- (2) Conciliation officer of the concerned area.
- (3) Labour Commissioner, GNCT of Delhi
- (4) To the office of DG Labour Bureau.

Form- XVII**(See Rule 41, 43)**

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the Appropriate Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed Format below)

Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer.....

Labour Identification Number/ Registration Number.....Dated.....

(Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively)

To,

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Labour Department,
Government of GNCT of Delhi

Delhi

1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(c) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench-----number of workers** out of a total of number of workers** with effect from (DD/MM/YYYY)

or

(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we hereby intimate you that I*/we* have decided to close down, (name of the industrial establishment or undertaking) with effect from.....(DD/MM/YYYY).
The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is (number of workers)

2. The reason for Retrenchment / Closure is
.....
.....

3. * The worker(s)* concerned were given on the (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)* / section 75(1)* of this Code.

or

* The worker(s) concerned have been given on the (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)* / section 75(1)* of this Code.

4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully, (Name of Employer/

***Authorized Representative with Seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

- (1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose.)
- (2) Joint/Deputy Labour Commissioner of the concerned area.
- (3) To the Registered Unions/ Authorized Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM – XVIII

[See Rule 44, 46,48]

**[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/
Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the
Appropriate Government under the provisions of Chapter X of the Industrial
Relations Code, 2020 and rules made there under]**

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed Format below)

Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.....

Labour Identification Number.....

Dated.....

(Note: The application to the Appropriate Government shall be served as indicated below:

(Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-offContinuation of Lay-off – at least 15
days before the expiry of earlier Lay-off)

(Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment)

(Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)

To,

The Additional chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Labour Department,
Government of NCT of Delhi.

1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply
for —permission to lay-off number of workers** out of total of
.....number of workers** employed in my*/our* establishment (details to be
given in Annex-I) with effect from (DD/MM/YYYY).

or

*(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code,
2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off
.....number of workers** out of total of laid off---- number of workers** in
my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect
from.....(DD/MM/YYYY).

or

*(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020,
I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of.....number of workers
out of total of ...number of workers** employed in my*/our* establishment (details to be
given in Annex-I) with effect from(DD/MM/YYYY).

or

(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we
hereby inform you that I*/we* intended to close down the
undertaking..... (name of the industrial establishment or undertaking or
employer) (details to be given in Annex-I) with effect from.....(DD/MM/YYYY). The
number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the
undertaking is -----(number of workers)

2. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on
..... (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section

78(3)* of this Code.

or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on.....
(DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80*
of this Code.

or

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on.....
(DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/ section
80* of this Code.

3. The details of affected worker(s) is at Annexure II.
4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.
5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)* / section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
 7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.
- The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,
(Name of Employer/***Authorised Representative
with Seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to:-

Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner of the Concerned Area.

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

1	Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.	
2	Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ etc, (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/ partnership firm (iii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers.	
3	(a) MCA Number	
	(b) GSTN Number	
4	(i) Annual production, item wise for preceding three years	
	(ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,	
5	Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years.	To be annexed
6	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.	
7	Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off	
8	Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/closure.	

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

Sl. No	UAN/ CMPFO	Name of the Worker	Category (Highly Skilled/ Skilled/ Semi-skilled / Unskilled)	Date from which in service in/ with the said establishment/ Undertaking/ Employer	Wage as on date of Application	Remark
1						
2						
3						

FORM -XIX
(See Rule 52)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer-
2. Address of the Establishment
4. Particulars of the offence
5. Section of the Code under which the offence is committed
6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:

Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned)
2. Address of the applicant
3. Particulars of the offence

4. Section of the Code under which the offence has been committed
.....
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given
.....
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence
.....
.....
.....
8. Any other information which the applicant desires to provide
.....
.....
.....

Dated:

Place:

Applicant (Name and signature)

FORM -XX
(See Rule 54)

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020) Before the
Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal ,

In the matter of : Reference
No.....

A..... Complainant(s);

Versus

B..... Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.

Dated this.....day of.....20. Signature of the Complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at..... on day of.....,20.....

Signature
or Thumb impression of the person verifying.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)

दिनांक : 03/10/2025

अधिसूचना

No. 15(12)/Lab/2022-~~4473-4479~~... "भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एस.ओ. 273(ई) दिनांक 16.01.2023 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ट्रेड यूनियन विनियम, 1927 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम, अर्थात् औद्योगिक संबंध (दिल्ली) नियम, 2025, बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) में अपेक्षित अनुसार, इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए ये नियम एतद्वारा अधिसूचित किए जाते हैं;

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नियमों के प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, साथ ही आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्रम विभाग सी ब्लॉक, 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली - 110054 और ईमेल पर भी यानी legalbranchlab@gmail.com को भेजे जा सकते हैं। आपत्तियां और सुझाव एक प्रोफार्मा में भेजे जाने चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता निर्दिष्ट किया गया हो और कॉलम (ii) में उस नियम या उप-नियम को निर्दिष्ट किया गया हो जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है और कॉलम (iii) में प्रतिस्थापित किए जाने वाले संशोधित नियम या उप-नियम और उसके कारणों को निर्दिष्ट किया गया हो। उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय - 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग और लागू होने की तारीख - (i) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (दिल्ली) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों और मामलों पर लागू होंगे जिनके संबंध में समुचित सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार है।

(iii) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "समुचित सरकार" का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अंतर्गत इस रूप में नामित किया गया है।

(ख) "संहिता" से तात्पर्य औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 से है;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का अर्थ है कोड के प्रयोजन के लिए ईमेल द्वारा प्रस्तुत की गई या निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर अपलोड की गई कोई भी जानकारी या किसी भी मोड में किया गया

डिजिटल भुगतान।

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(ङ) "धारा" से तात्पर्य संहिता की धाराओं से है;

(च) "वेब पोर्टल" का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित वेब पोर्टल से है।

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. धारा 2 के खंड (जैड 1) के अंतर्गत सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते के लिए लिखित करार- नियोक्ता और श्रमिक के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (जैड 1) के तहत समझौता प्रपत्र-I में निर्दिष्ट प्रारूप में होगा और उस पर सहमति में पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी एक प्रति संबंधित सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय 2

द्वि-पक्षीय मंच

4. धारा 3 के अधीन कार्य समिति आदि का गठन- (1) प्रत्येक नियोजक, जिससे धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश संबंधित है, निम्नलिखित उपनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से कार्य समिति का गठन करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगा:-

(2) समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उसमें कार्यरत विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्ग के श्रमिकों तथा प्रतिष्ठान के अनुभागों, दुकानों या विभागों को प्रतिनिधित्व मिल सके:

परन्तु, यह उपबंधित है कि कार्य समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी:

यह और भी उपबंधित है कि कार्य समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या, नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य समिति में नियोजक के प्रतिनिधि नियोजक द्वारा नामित किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक स्थापन के कार्यकरण से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे सहबद्ध अधिकारी होंगे।

(4) (क) जहां भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के कुछ श्रमिक किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य होंगे, तो नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से लिखित रूप से निम्नांकित जानकारी उसे प्रदान करने के लिए कहेगा -

(i) कितने श्रमिक ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; और

(ख) जहां नियोक्ता के पास यह मानने का कारण है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड(क) के तहत उसे दी गई जानकारी असत्य है, तो वह, ऐसे ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद मामले को संबंधित समुचित सरकार द्वारा नियुक्त/अधिसूचित श्रम प्राधिकारियों को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता समिति में श्रमिक के प्रतिनिधियों के चयन के लिए निम्नलिखित दो समूहों में प्रावधान करेगा, अर्थात्:-

(क) पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में कार्य समिति के लिए अपने प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में चुन सकते हैं।

(ख) जहां कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां श्रमिक कार्य समिति के लिए अपने बीच से

प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं।

(6) (क) कार्य समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा।

(ख) कार्य समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नियोक्ता द्वारा अध्यक्ष का नामनिर्देशन किया जाएगा और वह यथासंभव औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) कार्य समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव अपने में से किया जाएगा:

परन्तु यह उपबंधित है कि उपाध्यक्ष के चुनाव में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा:

(घ) कार्य समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, परन्तु यह उपबंधित है कि यदि सचिव नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, तो संयुक्त सचिव कर्मचारी प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा, अन्यथा चुनाव की कवायद इसके विपरीत होगी :

परन्तु यह प्रावधान है कि सचिव या संयुक्त सचिव का पद, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कर्मचारी प्रतिनिधि द्वारा लगातार दो वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह उपबंधित है कि जब भी सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा भी मामला हो, का चुनाव कर्मचारी प्रतिनिधियों में से किया जाएगा, तो नियोक्ता के प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लेंगे और केवल कर्मचारी प्रतिनिधि ही ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होंगे।

(ङ) खंड (घ) के तहत किसी भी चुनाव में, वोटों की संख्या बराबर होने की स्थिति में, मामले का फैसला लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(7) (क) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़ कर, कार्य समिति के प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा;

(ख) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा;

(ग) कोई सदस्य जो कार्य समिति से अनुमति लिए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) यदि श्रमिक प्रतिनिधि उपनियम (7) के खंड (ग) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा स्थिति में, उसके उत्तराधिकारी का चयन इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसी समूह से किया जाएगा, जिससे स्थान खाली करने वाला सदस्य संबंधित था।

(9) कार्य समिति को परामर्शदात्री क्षमता में औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जिन्हें चर्चा के अधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान हो। ऐसा सहयोजित सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिस अवधि के दौरान विशेष प्रश्न कार्य समिति के समक्ष है।

(10) (क) कार्य समिति जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक कर सकेगी, किन्तु तीन महीने में एक बार से कम नहीं।

(ख) कार्य समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोजक कार्य समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए आवास की व्यवस्था करेगा। वह कार्य समिति तथा उसके सदस्यों को कार्य समिति का कार्य करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं

भी प्रदान करेगा। कार्य समिति सामान्यतः किसी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य घंटों के दौरान बैठक करेगी तथा बैठक में उपस्थित होने के दौरान श्रमिकों का प्रतिनिधि झूटी पर माना जाएगा;

(ख) कार्य समिति का सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति से कार्य समिति के कार्य के संबंध में औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा सकेगा।

5. धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों में से सदस्यों को चुनने की रीति.- (1) शिकायत निवारण समिति में नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधि नियोक्ता द्वारा नामित किए जाएंगे और वे यथा संभव, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे जुड़े अधिकारी होंगे, जिनमें औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के अध्यक्षों को वरीयता दी जाएगी।

(3) श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाएगा। यदि कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, तो सदस्य का चयन औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है:

परन्तु यह उपबंधित है कि शिकायत निवारण समिति में महिला श्रमिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों में महिला श्रमिकों के अनुपात से कम नहीं होगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का कार्यकाल पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन की अनुपस्थिति में, शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का कार्यकाल शिकायत निवारण समिति के गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(4) जहां भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के कुछ श्रमिक किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य होंगे, तो नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से लिखित रूप से निम्नांकित जानकारी उसे प्रदान करने के लिए कहेगा-

(क) कितने श्रमिक ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं;

(ख) जहां नियोक्ता के पास यह मानने का कारण है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी असत्य है, तो वह, ऐसे ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद मामले को संबंधित समुचित सरकार द्वारा नियुक्त/अधिसूचित श्रम प्राधिकारियों को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर नियोजक निम्नलिखित दो समूहों द्वारा समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अर्थात्:-

(क) पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में शिकायत निवारण समिति के सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं।

(ख) ऐसे श्रमिक जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, वे शिकायत निवारण समिति के लिए अपने बीच से प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

6. धारा 4 की उपधारा (5) के तहत किसी भी व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन:- कोई भी व्यथित कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग का नाम, जिसमें वह तैनात है, सेवा की अवधि, कर्मचारी की श्रेणी, पत्राचार का पता, संपर्क नंबर, शिकायतों और मांगी गई राहत के विवरण और अपने विवाद का उल्लेख करते हुए आवेदन दाखिल

कर सकता है। ऐसा आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजा जा सकता है। शिकायत उस तारीख से एक वर्ष के भीतर की जा सकती है जिस दिन विवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो।

7. धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के निर्णय के विरुद्ध सुलह अधिकारी को शिकायत के समाधान के लिए आवेदन दाखिल करने का तरीका:- कोई भी कर्मचारी जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से या धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, साठ दिनों की अवधि के भीतर वेब पोर्टल या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस ट्रेड यूनियन के माध्यम से सुलह अधिकारी को आवेदन दायर कर सकता है, जिसका वह सदस्य है या अन्यथा:

परन्तु, यह उपबंधित है कि पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऐसे आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी उसे डिजिटाइज़ करेगा और संबंधित कार्यकर्ता को सूचना देते हुए ऑनलाइन तंत्र में आवेदन के विवरण दर्ज करेगा।

अध्याय 3

ट्रेड यूनियन

8. धारा 7 के खंड (च) के तहत ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा सदस्यता के लिए भुगतान और ऐसे सदस्यों और अन्य लोगों से दान:- ट्रेड यूनियन के सदस्य द्वारा न्यूनतम सदस्यता का भुगतान जो 100 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होगा।

9. धारा 7 के खंड (व) के तहत वार्षिक लेखा परीक्षा का तरीका:- (1) किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन या संघ के महासंघ के खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत कंपनियों के खाते की लेखा परीक्षा के लिए अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। परन्तु यह उपबंधित है कि यदि ट्रेड यूनियन की सदस्यता वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 2500 से अधिक नहीं रही हो, तो उसके खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा यूनियन के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा की जा सकती है।

(2) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को ट्रेड यूनियन की सभी लेखा-बहियों तक पहुंच प्रदान की जाएगी और वे वार्षिक रिटर्न को उससे संबंधित खातों और वाउचरों के साथ सत्यापित करेंगे और उसके बाद प्रपत्र-II में संलग्न लेखा परीक्षक की घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें उस प्रपत्र पर अलग से अपने हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षरों के तहत एक बयान दर्शाया जाएगा, जिसमें यह प्रकट किया जाएगा कि किस संबंध में उन्हें रिटर्न गलत, अप्रमाणित या अधिनियम के अनुसार नहीं लगता है। इस कथन में दिए गए विवरण निम्नलिखित को इंगित करेंगे-

क) प्रत्येक भुगतान जो ट्रेड यूनियन के नियमों द्वारा अनाधिकृत या अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है,

ख) किसी कमी या हानि की राशि जो किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार के कारण हुई प्रतीत होती है,

ग) कोई धन राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा हिसाब में लायी जानी थी, परन्तु वह नहीं लाई गई;

10. धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत शपथ-पत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप तथा उसे करने का तरीका- ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही प्रपत्र-III में शपथ-पत्र के माध्यम से दी गई सूचना की प्रामाणिकता के संबंध में घोषणा भी की जाएगी।

11. धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत ट्रेड यूनियन की परिसंपत्तियों और देनदारियों के सामान्य

विवरण का प्रारूप- ट्रेड यूनियन की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र-IV में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।

12. धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप, तथा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रारूप- धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-V में होगा तथा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रपत्र-VI में होगा।

13. धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन ट्रेड यूनियन का नाम और अन्य विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर तथा धारा 9 की उपधारा (5) (i) के अधीन ट्रेड यूनियन के आवेदन का सत्यापन- (1) रजिस्ट्रार, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात, ट्रेड यूनियन का नाम और अन्य विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करके पंजीकृत करेगा, जिसे धारा 9 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र-VII में संधारित किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के बाद वापस लिया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।

14. धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत ट्रेड यूनियन द्वारा न्यायाधिकरण में अपील करने की अवधि- यदि धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत पंजीकरण देने या पंजीकरण रद्द करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो व्यथित व्यक्ति आवेदन अस्वीकार करने या प्रमाणपत्र रद्द करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

15. धारा 11 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को संसूचनाएं और सूचनाएं भेजने का तरीका तथा प्रपत्र-(1) पंजीकृत ट्रेड यूनियन को सभी संसूचनाएं और सूचनाएं रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्र-VII में, रजिस्टर में दर्ज ट्रेड यूनियन के मुख्य कार्यालय के पते पर, पंजीकृत डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी।

(2) धारा 11 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए ट्रेड यूनियन द्वारा रजिस्ट्रार को सभी पत्र-व्यवहार पंजीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

16. वे मामले, जिन पर औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकार संघ या वार्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता के साथ बातचीत कर सकता है और धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड - (1) औद्योगिक प्रतिष्ठान में, वार्ताकार संघ या वार्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, जिसके पास औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता के साथ बातचीत करने के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, रोजगार की शर्तों या सेवाओं की शर्तों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत कर सकता है।

(2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में केवल एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, तो ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोक्ता ऐसे पंजीकृत ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में सभी मान्यता देगा, जब वार्ता आरंभ होने के समय औद्योगिक प्रतिष्ठान के कुल श्रमिकों में से 25% से अधिक श्रमिक उस पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य हों।

17. धारा 14 की उपधारा (3) और (4) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के मस्टर रोल पर श्रमिकों के सत्यापन की रीति तथा उपधारा (7) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा वार्ता संघ या वार्ता परिषद को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं-(1) धारा 14 की उपधारा (3) और (4)

के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के मस्टर रोल पर श्रमिकों का सत्यापन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा।

(2) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक, यथास्थिति, मान्यता प्राप्त वार्ता संघ या वार्ता परिषद को वार्ता के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराएगा।

18. धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उद्देश्य तथा उपधारा (4) के अधीन देय अंशदान- पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि निम्नलिखित के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य पर खर्च नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते और व्यय का भुगतान;
- (ख) ट्रेड यूनियन के संचालन के लिए व्यय का भुगतान, जिसमें ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष के खातों की लेखापरीक्षा शामिल है;
- (ग) किसी कानूनी कार्यवाही का अभियोजन या बचाव, जिसमें ट्रेड यूनियन या उसका कोई सदस्य पक्षकार है, जब ऐसा अभियोजन या बचाव ट्रेड यूनियन के किसी अधिकार को, या किसी सदस्य के अपने नियोक्ता या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार को, सुरक्षित करने या उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से किया जाता है;
- (घ) ट्रेड यूनियन या उसके किसी सदस्य की ओर से औद्योगिक विवादों का संचालन;
- (ङ) औद्योगिक विवादों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए सदस्यों को मुआवजा;
- (च) ऐसे सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों को भत्ते;
- (छ) सदस्यों के जीवन पर बीमा पॉलिसियों या बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध सदस्यों का बीमा करने वाली पॉलिसियों के तहत दायित्व जारी करना या दायित्व लेना;
- (ज) सदस्यों या उनके आश्रितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक लाभों का प्रावधान (मृत सदस्यों के अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के खर्च के भुगतान सहित);
- (झ) मुख्य रूप से नियोक्ताओं या श्रमिकों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रकाशित किसी आवधिक पत्रिका का रखरखाव;
- (ञ) किसी ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान, जिस पर ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि खर्च की जा सकती है, और ऐसे अंशदान का भुगतान, जिसका लक्ष्य आम कामगारों को लाभ पहुंचाना हो, परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंशदानों के संबंध में व्यय उस वर्ष के दौरान किसी भी समय उस सकल आय के संयुक्त योग के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगा जो उस वर्ष के दौरान ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि में उस समय तक प्रोद्भूत हुई है और उस वर्ष के प्रारंभ में उन निधियों के जमा शेष के बराबर है; और
- (ट) किसी भी शर्त के अधीन, सरकारी राजपत्र में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य उद्देश्य।

19. धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन करने का तरीका- धारा 22 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन प्रपत्र VIII में किया जाएगा। न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने का तरीका समुचित सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तय किया जाएगा।

20. धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन समामेलन का तरीका, तथा उपधारा (3) के अधीन हस्ताक्षरित समामेलन को भिन्न राज्य के रजिस्ट्रार को भेजने का तरीका- (1) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन समामेलन की सूचना प्राप्त होने पर, यदि समामेलित ट्रेड यूनियन का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, तो रजिस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन समामेलित ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से पहले, समामेलित होने वाले अन्य राज्य, यदि कोई हो, के ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार से परामर्श करेगा।

(2). जब समामेलित ट्रेड यूनियन धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन पंजीकृत हो जाती है, तो उसे प्रपत्र VII में रजिस्टर में एक नंबर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार प्रपत्र VI में एक नया प्रमाणपत्र जारी करेगा। वह प्रपत्र VII में रजिस्टर में इस प्रकार समामेलित ट्रेड यूनियनों से संबंधित प्रविष्टियों, यदि कोई हो, के सामने समामेलन के तथ्य को भी नोट करेगा और समामेलित यूनियन के पंजीकरण की सूचना अन्य राज्य में इस प्रकार समामेलित ट्रेड यूनियन, यदि कोई हो, के रजिस्ट्रार को भेजेगा।

21 धारा 25 की उपधारा (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा विघटित किए जाने पर ट्रेड यूनियन की निधि का वितरण - रजिस्ट्रार के लिए धारा 25 की उपधारा (2) के तहत, किसी ट्रेड यूनियन की विघटित निधि को वितरित करना अनिवार्य होगा। वह विघटन के समय रोल पर मौजूद सदस्यों द्वारा अपनी सदस्यता के दौरान ट्रेड यूनियन की विभिन्न निधियों में अंशदान के रूप में जमा की गई राशि के अनुपात में निधियों को विभाजित करेगा। किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य की मृत्यु निधि के विघटन की तारीख के बाद लेकिन निधि के वितरण से पहले होने की स्थिति में, रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को देय राशि का भुगतान उसके कानूनी आश्रितों को करेगा।

22. वह तारीख जिससे पहले सामान्य विवरण प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, सामान्य विवरण और उसके प्रारूप में शामिल किए जाने वाले ब्यौरे, वह व्यक्ति जिसके द्वारा और वह तरीका जिससे धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ऐसे सामान्य विवरण की लेखापरीक्षा की जाएगी- धारा 26 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और यह प्रपत्र-IX में होगा।

23. धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन समुचित सरकार द्वारा किसी ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियनों के परिसंघ को राज्य स्तर पर राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता देने का तरीका और उद्देश्य तथा उसके द्वारा विवादों का निर्णय करने का प्राधिकार और तरीका- (1) समुचित सरकार किसी ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियन के परिसंघ को राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता दे सकेगी, यदि ट्रेड यूनियन या यूनियन के परिसंघ के कम से कम संयुक्त सत्यापित सदस्य बीस हजार या उससे अधिक हों और सदस्यता उपस्थिति राज्य में कम से कम चार प्रकार के उद्योगों में हो।

(2) समुचित सरकार उन ट्रेड यूनियनों को बरीयता दे सकेगी जिन्हें विभिन्न संहिताओं के प्रावधानों के तहत गठित किसी त्रिपक्षीय फोरम के गठन के प्रयोजनार्थ राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(3) राज्य ट्रेड यूनियन की मान्यता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में उक्त संहिता के प्रावधानों के तहत गठित न्यायाधिकरण विवाद का निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

अध्याय 4

स्थायी आदेश

24. धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणन अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति.-

(1) यदि नियोजक अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत विषयों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है, तो वह संबंध प्रमाणन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से वह विशिष्ट तारीख सूचित करेगा, जिससे उसके प्रतिष्ठान से सुसंगत आदर्श स्थायी आदेश के उपबंधों को अपनाया गया है।

(2) उप-नियम (1) में सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणन अधिकारी ऐसी प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणी दे सकेगा कि नियोजक को कुछ ऐसे उपबंधों को सम्मिलित करना

अपेक्षित है जो उसके स्थापन के लिए सुसंगत हैं तथा आदर्श स्थायी आदेशों के उन सुसंगत उपबंधों को इंगित करेगा जिन्हें अपनाया नहीं गया है तथा नियोक्ता को ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार अपनाए गए स्थायी आदेश में कुछ जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का निर्देश भी देगा तथा केवल उन उपबंधों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगेगा जिन्हें प्रमाणन अधिकारी संशोधित कराना चाहता है तथा ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) यदि प्रमाणन अधिकारी द्वारा उप-नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो स्थायी आदेश नियोक्ता द्वारा अपनाया गया माना जाएगा।

25. धारा 30 की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन, जहां कोई ट्रेड यूनियन कार्यरत नहीं है, वहां प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के श्रमिकों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका और धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण की रीति - (1) जहां उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए श्रमिकों की बैठक बुलाएगा, जिनके चुने जाने पर वह स्थायी आदेश की एक प्रति भेजेगा जिसमें ऐसी आपत्तियां, यदि कोई हों, मांगी जाएंगी, जो श्रमिक नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहते हों।

(2) धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में संशोधन या धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां, यथास्थिति, प्रमाणन अधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके और मुहर लगाकर प्रमाणित की जाएंगी और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएंगी, किंतु धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणित माने जाने वाले मामलों में और ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाया प्रमाणित कर दिया है, प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

26. धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन स्थायी आदेश के प्रारूप के साथ विवरण संलग्न करना - निम्नांकित के साथ एक विवरण संलग्न किया जाएगा -

(i) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ, जिसमें संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नम्बर और उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या तथा ब्यौरा, जिसमें ऐसे श्रमिकों के ट्रेड यूनियन का ब्यौरा भी शामिल होगा; और

(ii) विद्यमान स्थायी आदेशों में संशोधन के प्रारूप के साथ, जिसमें ऐसे स्थायी आदेशों का ब्यौरा शामिल होगा, जिन्हें संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है, इसके साथ एक सारणीबद्ध विवरण भी होगा, जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत प्रावधान और उसमें प्रस्तावित संशोधन तथा उसके कारणों का विवरण होगा तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

27. धारा 30 की उपधारा (10) के अंतर्गत समान प्रतिष्ठान में मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें:- समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में संबंधित ट्रेड यूनियन के परामर्श के बाद धारा 30 के अंतर्गत और उसकी उपधारा (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट कार्यवाही के प्रयोजन के लिए संयुक्त मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं।

परन्तु, यह उपबंधित है कि समान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में संयुक्त मसौदा स्थायी आदेश तैयार किया जाएगा और श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के परामर्श से, कारण दर्ज करने के बाद उक्त संयुक्त मसौदा स्थायी आदेश को प्रमाणित करेगा या प्रमाणित करने से इंकार करेगा।

28. धारा 32 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान का तरीका:-

- (1) कोई नियोक्ता या ट्रेड यूनियन, जो धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन दिए गए प्रमाणन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का इच्छुक हो, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन तैयार करेगा, जिसमें उन स्थायी आदेशों के प्रावधानों का उल्लेख होगा, जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या हटाया या जोड़ा जाना अपेक्षित है और उसके कारण होंगे तथा उसे अपील प्राधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा।
- (2) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा और उसकी सूचना निम्नलिखित को देने का निर्देश देगा-
 - (क) जहां अपील नियोक्ता या श्रमिक द्वारा दाखिल की जाती है, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के ट्रेड यूनियन को या संबंधित श्रमिकों के प्रतिनिधि निकाय को या नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो;
 - (ख) जहां अपील ट्रेड यूनियन द्वारा दाखिल की जाती है, वहां नियोक्ता और औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के सभी अन्य ट्रेड यूनियनों को; और
 - (ग) जहां अपील श्रमिकों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, वहां नियोक्ता और किसी अन्य श्रमिक को, जिसे अपीलीय प्राधिकारी अपील में पक्षकार के रूप में शामिल करता है।
- (3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।
- (4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी साक्ष्य की मांग कर सकता है, यदि वह अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।
- (5) अपील की सुनवाई के लिए उपनियम (2) के अधीन नियत तारीख को अपील प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने प्रस्तुत किए जाने पर प्रासंगिक समझा हो या जिसे उसने अपेक्षित समझा हो तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा।

29. धारा 33 की उपधारा (1) और (2) के अधीन स्थायी आदेश बनाए रखने की भाषा और रीति.- (1) प्रमाणन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश धारा 30 के अधीन समझे गए प्रमाणन की दशा को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेश का पाठ नियोजक द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में रखा जाएगा।

30. धारा 34 के अधीन स्थायी आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर-

(1) प्रमाणन अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रमाणित या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का एक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे-

क. प्रत्येक स्थायी आदेश को दी गई विशिष्ट संख्या;

ख. औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम;

ग. औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति;

घ. प्रमाणन की तिथि या प्रमाणन माने जाने की तिथि या प्रत्येक प्रतिष्ठान या उपक्रम द्वारा आदर्श स्थायी आदेश को अपनाने की तिथि;

ड. औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के क्षेत्र; और

च. ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में सुसंगत और सहायक हो सकते हैं और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का डाटा बेस तैयार कर सकते हैं।

(2) प्रमाणन अधिकारी प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गए प्रमाणित आदेशों की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गए स्थायी आदेशों के प्रति पृष्ठ दो रुपये के भुगतान पर, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रयोजन के लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है।

31. धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन स्थायी आदेश में संशोधन के लिए आवेदन-

धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन विद्यमान स्थायी आदेश में संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें ऐसे स्थायी आदेशों का विवरण होगा, जिन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव है, साथ ही इसमें एक सारणीबद्ध विवरण होगा, जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का विवरण, उसमें प्रस्तावित संशोधन, उसके कारण और उसमें कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियन(नों) का विवरण होगा और ऐसे विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय 5

परिवर्तन की सूचना

32. धारा 40 के खंड (i) के अधीन प्रस्तावित परिवर्तन के लिए सूचना देने का तरीका.-

(1) कोई नियोक्ता, जो संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी भी कर्मचारी पर लागू सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन करने का इरादा रखता है, ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कर्मचारी को प्रपत्र-X में सूचना देगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार और औद्योगिक प्रतिष्ठान के संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में सूचना बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी:

परन्तु यह उपबंधित है कि जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन या पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं, ऐसी सूचना की एक प्रति ऐसे ट्रेड यूनियन के सचिव या ऐसे यूनियनों के प्रत्येक सचिव को भी दी जाएगी, जैसा भी मामला हो।

अध्याय 6

विवादों को स्वैच्छिक रूप से मध्यस्थता के लिए भेजना

33. धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन मध्यस्थता करार का प्रारूप और उसकी रीति-

(1) जहां नियोक्ता और श्रमिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर सहमत होते हैं, वहां मध्यस्थता समझौता प्रपत्र--XI में होगा और समझौते के पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते के साथ मध्यस्थ या मध्यस्थों की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते पर निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

(i) नियोक्ता के मामले में, नियोक्ता द्वारा स्वयं, या जब नियोक्ता एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, तो ऐसे प्रयोजनों के लिए अधिकृत निगम के एजेंट, प्रबंधक या अन्य अधिकारी द्वारा;

(ii) श्रमिकों के मामले में इस निमित्त अधिकृत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकारी द्वारा या ऐसे प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित श्रमिकों की बैठक में इस निमित्त विधिवत् अधिकृत श्रमिकों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) किसी व्यक्तिगत श्रमिक के मामले में, किसी व्यक्तिगत श्रमिक द्वारा स्वयं या पंजीकृत ट्रेड यूनियन के किसी अधिकारी द्वारा जिसका श्रमिक सदस्य है;

स्पष्टीकरण- (1) इस नियम में, 'अधिकारी' से किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन या नियोक्ता के किसी संघ का कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है;

(2) इस नियम में 'अधिकारी' से निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी अभिप्रेत है, अर्थात्:-

क) अध्यक्ष;

ख) उपाध्यक्ष;

ग) सचिव (महासचिव सहित);

घ) संयुक्त सचिव; और

ङ) ट्रेड यूनियन का कोई अन्य अधिकारी, जो यूनियन के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

34 धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी करने का तरीका- जहां कोई औद्योगिक विवाद मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया गया है और समुचित सरकार इस बात से आश्वस्त हो जाती है कि निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां वह इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन नियोजकों और कर्मकारों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगी जो मध्यस्थता करार के पक्षकार नहीं हैं, किन्तु विवाद से संबंधित हैं और वे ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकेंगे।

35. धारा 42 की उपधारा (5) के तहत जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां श्रमिकों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका- जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उपधारा (5) के प्रावधान के खंड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधि का चुनाव प्रपत्र-XII में संबंधित श्रमिकों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के जरिए किया जाएगा, जिसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। ऐसे श्रमिक उन प्रतिनिधियों के कार्यों से बंधे होंगे जिन्हें मध्यस्थ या मध्यस्थों, जो भी लागू हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अध्याय 7

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

36. धारा 44 की उपधारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने का तरीका तथा धारा 44 की उपधारा (5) के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन व शर्तें -

1) न्यायिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट खोज सह चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिश पर उपयुक्त सरकार द्वारा की जाएगी।

2) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:

i) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश - अध्यक्ष।

ii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के वर्तमान न्यायिक सदस्य रा.रा.क्षे.दि.स. के मुख्य सचिव - सदस्य

iii) मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, श्रम विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. - सदस्य;

iv) प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. - सदस्य;

(3) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन का रिकॉर्ड, ईमानदारी और साथ ही औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता और न्यायिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) खोज-सह-चयन समिति में किसी सदस्य के रिक्त होने या अनुपस्थित होने के कारण न्यायिक सदस्य की कोई नियुक्ति अवैध घोषित नहीं की जाएगी।

(5) न्यायिक सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(6) न्यायिक सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, उपयुक्त सरकार न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दूसरे औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(7) (क) न्यायिक सदस्य को 2,25,000/- रुपये (निर्धारित) प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा तथा वह दिल्ली सरकार के समूह 'क' पद पर कार्यरत अधिकारी को देय भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की सकल राशि कम कर दी जाएगी।

(8) न्यायिक सदस्य, समान वेतन वाले समूह के पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी को स्वीकार्य दर पर किराया मुक्त सुसज्जित आवास या मकान किराया भत्ते के लिए हकदार होगा।

(9) (क) न्यायिक सदस्य के लिए छुट्टी स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी उपयुक्त सरकार होगी।

(ख) न्यायिक सदस्य की विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति देने वाली प्राधिकारी उपयुक्त सरकार होगी।

(10) समान वेतन वाले समूह के पद पर कार्यरत दिल्ली सरकार के अधिकारी को स्वीकार्य उपयुक्त सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं न्यायिक सदस्य पर लागू होंगी।

(11) (क) न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता समान वेतन वाले समूह के पद पर कार्यरत दिल्ली सरकार के अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(12) न्यायिक सदस्य समान वेतन वाले समूह के पद पर आसीन दिल्ली सरकार के अधिकारी की तरह अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा।

(13) न्यायिक सदस्य, दिल्ली सरकार के समूह के पद पर कार्यरत समान वेतन वाले अधिकारी को देय परिवहन भत्ते के बराबर भत्ता पाने का पात्र होगा।

(14) किसी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

(15) (क) यदि उपयुक्त सरकार को लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें न्यायिक सदस्य के रूप में दुर्व्यवहार या कार्य करने में अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया जाता है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जांच के बाद, उपयुक्त सरकार की राय है कि न्यायिक सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, तो वह जांच करने के लिए खोज-सह-चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।

(ग) खोज-सह-चयन समिति छह महीने के भीतर या समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूरी करेगी।

(घ) जांच के समापन के बाद, खोज-सह-चयन समिति समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें वह प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग अपने निष्कर्ष देगी और उसके कारण बताएगी तथा पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियां करेगी, जो वह उचित समझे।

(ङ) खोज-सह-चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

से बंधी नहीं होगी, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा उसे अपनी जांच की तिथि, स्थान और समय तय करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(16) न्यायिक सदस्य किसी भी समय समुचित सरकार को संबोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है: बशर्ते कि न्यायिक सदस्य, जब तक कि समुचित सरकार द्वारा उसे पहले पद त्यागने की अनुमति न दी जाए, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत् नियुक्त व्यक्ति के उसके पद पर आसीन होने तक या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

(17) (क) समुचित सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी ऐसे न्यायिक सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो-

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; या

(ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो:

परन्तु यह उपबंधित है कि जहां किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव हो, वहां उसे उसके विरुद्ध आरोपों की जानकारी दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(18) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-XIII में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(19) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की शर्तों और निबंधनों से संबंधित मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा समुचित सरकार को उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उस पर समुचित सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(20) समुचित सरकार को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी वर्ग या श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों में से किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होगी।

37. धारा 44 की उपधारा (9) के अधीन रिक्ति को भरने की रीति तथा धारा 44 की उपधारा 5 के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें:-

1) औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य (जिसे इस अध्याय में आगे प्रशासनिक सदस्य कहा गया है) की नियुक्ति के लिए योग्यता धारा 44 की उपधारा (5) में दी गई योग्यता के अनुसार होगी।

2) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट खोज सह चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिश पर उपयुक्त सरकार द्वारा की जाएगी।

3) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:

i) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश - अध्यक्ष।

ii) मुख्य सचिव या मुख्य सचिव द्वारा नामित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य;

iii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के वर्तमान प्रशासनिक सदस्य।

iv) प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स - सदस्य;

4). खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, पिछले प्रदर्शन का रिकॉर्ड, ईमानदारी के साथ-साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए दो या तीन व्यक्तियों, जो भी वह उपयुक्त समझे, के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

5) कोई व्यक्ति औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य (जिसे इस अध्याय में आगे प्रशासनिक सदस्य कहा जाएगा) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम तीन वर्षों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद पर न रहा हो।

(6) खोज-सह-चयन समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त होने या कोई सदस्य अनुपस्थित होने मात्र से, प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।

(7) कोई प्रशासनिक सदस्य 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(8) प्रशासनिक सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, उपयुक्त सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(क) प्रशासनिक सदस्य को 1,75,000/- रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा तथा वह दिल्ली सरकार के समूह क पद पर कार्यरत अधिकारी के समान वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उपयुक्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की सकल राशि को घटा दिया जाएगा।

(ग) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के नियमों के अनुसार पेंशन के लिए गिना जाएगा, जिसमें वह शामिल है तथा यह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगी।

(घ) प्रशासनिक सदस्य दिल्ली सरकार के समूह क पद पर कार्यरत अधिकारी के समान दर पर किराए से मुक्त सुसज्जित आवास या मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

(ङ) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, छुट्टी उस सेवा के नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी, जिसमें वह संबद्ध है।

(च) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में छुट्टी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में समूह 'क' पद पर कार्यरत, समान वेतन वाले, अधिकारी के समान स्वीकार्य होगी।

9. (क) उपयुक्त सरकार सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी।

(ख) उपयुक्त सरकार प्रशासनिक सदस्य के लिए विदेश यात्रा स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी।

10. समान वेतन वाले समूह क पद पर कार्यरत दिल्ली सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य उपयुक्त सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के समतुल्य स्वास्थ्य सुविधाएं लागू होंगी।

11 (क) प्रशासनिक सदस्य समान वेतन वाले समूह क पद पर कार्यरत दिल्ली सरकार के अधिकारी के समान परिवहन भत्ते का हकदार होगा।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने और असाइन्मेंट पूरा होने के बाद, स्थानांतरण यात्रा भत्ते के रूप में गृह नगर से मुख्यालय तक आने-जाने का भत्ता भी समूह क पद पर आसीन दिल्ली सरकार के समान वेतन वाले अधिकारी के

समान स्वीकार्य होगा।

12. प्रशासनिक सदस्य समान वेतन वाले समूह के पद पर आसीन दिल्ली सरकार के अधिकारी के समान ही अवकाश यात्रा खर्चा के लिए पात्र होगा।

13. किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

14. (क) यदि उपयुक्त सरकार को लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें प्रशासनिक सदस्य के रूप में दुर्व्यवहार या कार्य करने में अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया जाता है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

ख) यदि प्रारंभिक जांच के बाद, उपयुक्त सरकार की राय है कि प्रशासनिक सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, तो वह मामले को जांच के लिए खोज-सह-चयन समिति को भेजेगी।

ग) खोज-सह-चयन समिति छह महीने के भीतर या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूरी करेगी।

(घ) जांच पूरी होने के बाद, खोज-सह-चयन समिति समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग अपने निष्कर्ष और उसके कारण बताए जाएंगे तथा पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियां की जाएंगी, जो वह उचित समझे।

ङ) खोज-सह-चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधी नहीं होगी, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा उसे अपनी जांच की तिथि, स्थान और समय तय करने सहित अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

15. प्रशासनिक सदस्य किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में उपयुक्त सरकार को संबोधित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है। परन्तु यह उपबंधित है कि प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि उसे उपयुक्त सरकार द्वारा पहले पद त्यागने की अनुमति न दी जाए, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक या उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

16 उपयुक्त सरकार, खोज एवं चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा देगी, जो-

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक पतन शामिल हो, या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हों, जो प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हों; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक है; परन्तु यदि किसी प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव है, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की जानकारी दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

17. प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-XIII में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

18. समुचित सरकार को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी वर्ग या श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होगी।

38. धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाही करने की रीति, उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट, तथा उपधारा (6) के अधीन आवेदन और ऐसे आवेदन पर निर्णय करने की रीति- (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या होने की आशंका है या धारा 62 के अधीन नोटिस दिया गया है, वहां सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आवेदन की जांच करेगा और

यदि वह पाता है कि विवाद किसी अन्य सुलह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो वह विवाद को संबंधित सुलह अधिकारी को हस्तांतरित कर देगा। अन्य मामलों में, वह संबंधित पक्षों को सुलह कार्यवाही शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए पहला नोटिस जारी करेगा।

(i) नियोक्ता या श्रमिक प्रतिनिधि प्रथम बैठक में उक्त विवाद के मामले में अपना-अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

(ii) सुलह अधिकारी विवाद का निपटारा करने के प्रयोजन के लिए सुलह कार्यवाही करेगा और पक्षकारों को उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन के लिए वह सभी कार्य कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी सुलह कार्यवाही समाप्त होने की तिथि से सात दिनों के भीतर वेब पोर्टल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट उक्त वेब पोर्टल पर संबंधित पक्षों के लिए सुलभ होगी।

(4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता, कर्मचारी या ट्रेड यूनियन, जैसा भी मामला हो, के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे और इसमें सुलह अधिकारी द्वारा पक्षों को सौहार्दपूर्ण समझौते पर लाने के लिए किए गए प्रयास, विवाद को हल करने के लिए पक्षों द्वारा इनकार करने के कारण और सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होगा।

(5) कोई विवाद जो सुलह कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं जाता है, तो संबंधित पक्षों में से कोई भी उप-नियम (2) के तहत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष प्रपत्र--XIV में आवेदन कर सकता है।

(6) किसी औद्योगिक विवाद के मामले में, जिसका समाधान सुलह कार्यवाही के दौरान नहीं हुआ है, न्यायनिर्णयन के लिए संबंधित पक्षों में से किसी एक द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। न्यायाधिकरण विवाद उठाने वाले पक्ष को आवेदन दायर करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रासंगिक दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों और गवाहों की सूची के साथ पूर्ण विवरण के साथ दावे का विवरण दाखिल करने का निर्देश देगा। ऐसे विवरण की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या विवाद में प्रत्येक विरोधी पक्ष को सेवा के लिए पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

(7) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा दावे के विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतियां दूसरे पक्ष को प्रदान की गई हैं, न्यायाधिकरण यथाशीघ्र और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पहली सुनवाई तय करेगा। विरोधी पक्ष या पक्ष पहली सुनवाई की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेज और उनकी सूची और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपना लिखित विवरण दाखिल करेंगे और साथ ही उसकी एक प्रति सेवा के लिए विरोधी पक्ष या पक्षों को भेजेंगे।

(8) जहां न्यायाधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्ष ने उसके निर्देशों के बावजूद दावे के कथन और अन्य दस्तावेज की प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को नहीं भेजी है, वहां वह संबंधित पक्ष को कथन की प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को देने के निर्देश देगा, तथा कथन दाखिल करने के लिए पंद्रह दिन का विस्तार देगा, यदि न्यायाधिकरण को समय के भीतर दावे के कथन और अन्य दस्तावेज दाखिल न करने का पर्याप्त कारण मिलता है।

(9) साक्ष्य या तो न्यायाधिकरण में दर्ज किया जाएगा या हलफनामे पर दाखिल किया जा सकता है, लेकिन हलफनामे के मामले में विरोधी पक्ष को हलफनामा दाखिल करने वाले प्रत्येक अभिसाक्षी से जिरह करने का अधिकार होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा आगे बढ़ती है, न्यायाधिकरण जो कुछ भी बयान किया जा रहा है उसके सार का ज्ञापन तैयार करेगा। मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(10) साक्ष्य पूरा होने पर, बहस तुरंत सुनी जा सकेगी या बहस के लिए तारीख तय की जा सकेगी, जो साक्ष्य बंद होने से पंद्रह दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(11) न्यायाधिकरण सामान्यतः एक बार में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए स्थगन नहीं देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के अनुरोध पर कुल मिलाकर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जाएंगे:

(12) यदि कोई पक्षकार चूक करता है या किसी भी चरण में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायाधिकरण मामले को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ा सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है:

परन्तु, यदि न्यायाधिकरण निर्णय प्रस्तुत करने से पहले दायर किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, अगर वह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तो वह मामले को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने के आदेश को रद्द कर सकता है, तथा विवादित मामले पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(13) न्यायाधिकरण संबंधित पक्षों तथा समुचित सरकार को अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(14) न्यायाधिकरण किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है, जिसका साक्ष्य उसे मामले पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है तथा वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 तथा 348 के अर्थ में सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(15) जहां धारा 49 की उपधारा (5) के अधीन न्यायाधिकरण को उसके समक्ष सुनवायी के संबंध में सलाह देने के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, वहां न्यायाधिकरण ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं की सलाह प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी।

(16) किसी पंचाट में कोई पक्षकार, जो पंचाट या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना चाहता है, वह न्यायाधिकरण में, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क जमा करने के पश्चात पंचाट या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकता है, अर्थात्:-

(17) (क) न्यायाधिकरण की किसी सुनवायी में दाखिल पंचाट या दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लिया जाएगा।

(ख) ऐसे किसी पंचाट या आदेश या दस्तावेज की प्रति प्रमाणित करने के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क देय होगा।

(ग) प्रतिलिपि बनाने और प्रमाणित करने का शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से देय होगा।

(घ) जहां कोई पक्षकार ऐसे किसी पंचाट या दस्तावेज की प्रति की तत्काल डिलीवरी के लिए आवेदन करता है, वहां इस नियम के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(18) न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों के प्रतिनिधियों को परीक्षा, जिरह करने तथा साक्ष्य बुलाए जाने पर न्यायाधिकरण को संबोधित करने का अधिकार होगा।

(19) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में होगी:

परन्तु, यह उपबंधित है कि न्यायाधिकरण अपने समक्ष किसी सुनवायी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का निर्देश दे सकता है।

इसके अलावा न्यायाधिकरण किसी भी स्तर पर निर्देश दे सकता है कि किसी गवाह की जांच की जाए या उसकी सुनवायी बंद कमरे में (इन-कैमरा) आयोजित की जाए।

अध्याय 8

हड़तालें और तालाबंदी

39. धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन हड़ताल की सूचना देने वाले व्यक्तियों की संख्या, वह व्यक्ति या व्यक्ति-समूह जिन्हें ऐसी सूचना दी जाएगी तथा ऐसी सूचना देने का तरीका- धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को प्रपत्र XV में दी

जाएगी, जिस पर सचिव तथा ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, संबंधित सुलह अधिकारी, अर्थात् समुचित सरकार द्वारा नियुक्त या अधिसूचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

40. धारा 62 की उपधारा (5) के अन्तर्गत तालाबंदी की सूचना देने का तरीका तथा उपधारा (6) के अन्तर्गत प्राधिकारी- (1) धारा 62 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा प्रपत्र-XVI में ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बन्धित प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव को दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित सुलह अधिकारी, सम्बन्धित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त तथा दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त को पृष्ठांकित की जाएगी। नियोजक द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक पट्ट पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से पांच दिन के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह अधिकारी, अर्थात् समुचित सरकार द्वारा नियुक्त या अधिसूचित प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(3) यदि नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी की सूचना देता है, तो वह ऐसी सूचना की तारीख से पांच दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित जिले के सुलह अधिकारी, संयुक्त श्रम आयुक्त/श्रम उप आयुक्त और दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त को सूचित करेगा।

अध्याय 9

निष्कासन, छंटनी और समापन

41. धारा 70 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारी की छंटनी से पूर्व नोटिस देने का तरीका- यदि कोई नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी ऐसे कर्मचारी की छंटनी करना चाहता है, जो उसके अधीन कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा हो, तो ऐसा नियोक्ता ऐसी छंटनी की सूचना प्रपत्र--XVII में दिल्ली सरकार और समुचित सरकार द्वारा नियुक्त या अधिसूचित संबंधित प्राधिकारी को ई-मेल या पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से देगा।

42. धारा 72 के अन्तर्गत छंटनी किये गये श्रमिकों को पुनः रोजगार का अवसर देने का तरीका- जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति होती है और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिक ऐसी रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष पूर्व छंटनी किये गये हैं, तो ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक ऐसे छंटनी किये गये श्रमिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, कम से कम 10 दिन पूर्व पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट तथा ई-मेल के माध्यम से अवसर प्रदान करेगा। यदि ऐसे श्रमिक रोजगार के लिए अपनी इच्छा जताते हैं, तो नियोजक ऐसी रिक्ति को भरने में उन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में वरीयता देगा।

43. धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन लक्षित समापन के लिए नियोजक द्वारा नोटिस देने का तरीका- यदि कोई नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखता है तो वह ऐसे बंद करने की सूचना प्रपत्र XVII में समुचित सरकार को देगा और उसकी एक प्रति संबंधित संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त को ई-मेल या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट भेजेगा।

अध्याय 10

कुछ प्रतिष्ठानों में निष्कासन, छंटनी और समापन से संबंधित विशेष प्रावधान

44. धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन नियोक्ता द्वारा अपेक्षित छंटनी के लिए समुचित सरकार को आवेदन करने का तरीका तथा ऐसे आवेदन की प्रति श्रमिकों को देने का तरीका- धारा 78 की

उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए नियोक्ता द्वारा प्रपत्र-XVIII में आवेदन किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित छंटनी के कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित श्रमिक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक साथ दी जाएगी। नियोक्ता द्वारा ऐसे आवेदन को औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

45. धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा- समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 78 की उपधारा (4) के अधीन अनुमति देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, ऐसे आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगी।

46. धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन नियोक्ता द्वारा अपेक्षित छंटनी के लिए समुचित सरकार को आवेदन करने का तरीका तथा ऐसे आवेदन की प्रति श्रमिकों को देने का तरीका- धारा 79 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा प्रपत्र-XVIII में किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित छंटनी के कारणों का स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से उल्लेख किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की एक प्रति भी श्रमिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी। नियोक्ता द्वारा ऐसे आवेदन को औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

47. धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा-समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, ऐसे आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगी।

48. औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए नियोजक द्वारा समुचित सरकार को आवेदन करने का तरीका और धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन श्रमिकों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति देने का तरीका- कोई नियोजक जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखता है, जिस पर संहिता का अध्याय X लागू होता है, वह समुचित सरकार को इच्छित समापन की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले पूर्व अनुमति के लिए प्रपत्र-XVIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठान के इच्छित बंद होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और साथ ही ऐसे आवेदन की एक प्रति श्रमिकों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भी भेजी जाएगी।

49. धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन समीक्षा के लिए समय-सीमा- समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी श्रमिक द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन अनुमति देने या देने से इंकार करने के अपने आदेश की समीक्षा, ऐसे आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कर सकेगी।

अध्याय 11

श्रमिक पुनः कौशल निधि

50. धारा 83 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन श्रमिक पुनः कौशल निधि में ऐसे अन्य स्रोतों से किया जाने वाला अंशदान:- समुचित सरकार निधि के अन्य स्रोतों को अधिसूचित कर सकती है।

51. धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन निधि के उपयोग का तरीका। प्रत्येक नियोक्ता,

जिसने इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी की है, छंटनी के समय दस दिन के भीतर ऐसे छंटनी किए गए कर्मकार या कर्मकारों के अंतिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिन के बराबर धनराशि को खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करेगा (खाते का नाम श्रम विभाग, उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा)। इस प्रकार प्राप्त निधि को दिल्ली की उपयुक्त सरकार द्वारा नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर प्रत्येक कर्मकार या कर्मकारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित किया जाएगा और कर्मकार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनः कौशल विकास के लिए करेगा। नियोक्ता, छंटनी किए गए प्रत्येक कर्मकार का नाम, प्रत्येक कर्मकार के संबंध में अंतिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिन के बराबर धनराशि तथा उनके बैंक खाते के ब्यौरे सहित सूची भी प्रस्तुत करेगा, ताकि उपयुक्त सरकार उनके संबंधित खाते में धनराशि अंतरित कर सके।

अध्याय 12

अपराध और दंड

52. धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति और धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के शमन के लिए आवेदन करने की रीति-

(1) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात शमन अधिकारी कहा जाएगा), उन अपराधों में जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है, यदि शमन अधिकारी की यह राय है कि संहिता के अधीन कोई अपराध जिसके लिए धारा 89 के अधीन शमन अनुमेय है, वह तीन भागों वाले प्रपत्र XIX में अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से/वेब पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे प्रपत्र के भाग I में शमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण, अपराध का विवरण और किस धारा के अंतर्गत अपराध किया गया है, अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली शमन राशि निर्दिष्ट करेगा। प्रपत्र का भाग II, अपराध के शमन न किए जाने पर परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और प्रपत्र का भाग III, अभियुक्त द्वारा अपराध का शमन करने की इच्छा होने पर दायर किया जाने वाला आवेदन अंतर्विष्ट करेगा। प्रत्येक नोटिस में एक सतत विशिष्ट संख्या होगी जिसमें अक्षर या अंक होंगे तथा अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान, निरीक्षण का प्रकार आदि आसानी से पहचान के लिए होंगे।

(2) अभियुक्त, जिसे उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किया गया है, अपने द्वारा विधिवत् भरे गए प्रपत्र के भाग III को शमन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकेगा और शमन राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, शमन अधिकारी द्वारा नोटिस में निर्दिष्ट खाते में जमा कर सकेगा।

(3) जहां अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, वहां वह अपने विरुद्ध अपराध का शमन करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के पश्चात, धारा 89 के उपबंधों के अनुसार शमन अधिकारी द्वारा अपराध का शमन करने की अनुमति दे सकेगा।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो शमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि के लिए अपराध का शमन करेगा और-

(क) यदि अभियोजन के समक्ष अपराध का शमन किया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के लिए कोई शिकायत संस्थित नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के अधीन अभियोजन संस्थित करने के पश्चात अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन अधिकारी मामले को बंद मान लेगा, मानो कोई अभियोजन आरंभ ही नहीं किया गया था और खंड (क) के अधीन शमन के अनुसार कार्यवाही करेगा और अपराध के शमन की सूचना उस सक्षम न्यायालय को देगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और अभियोजन को बंद

कर देगा।

(5) शमन अधिकारी समुचित सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, इस नियम के अधीन अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय 13

विविध

53. धारा 90 की उपधारा (3) और (4) के अधीन संरक्षित श्रमिक-

(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़ा प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन, जिस पर संहिता लागू होती है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले नियोक्ता को संघ के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते संसूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें संघ की राय में "संरक्षित श्रमिक" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसे किसी अधिकारी के पद पर कोई परिवर्तन होने पर संघ द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर संसूचित किया जाएगा।

(2) नियोक्ता, धारा 90 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, ऐसे श्रमिकों को धारा 90 के प्रयोजनों के लिए "संरक्षित श्रमिक" के रूप में मान्यता देगा और उपनियम (1) के अधीन नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर संघ को लिखित रूप में, ऐसी संसूचना की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए संरक्षित श्रमिकों के रूप में मान्यता प्राप्त श्रमिकों की सूची संसूचित करेगा।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या, धारा (90) की उपधारा (4) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कर्मचारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, वहां नियोजक केवल ऐसी अधिकतम संख्या में कर्मचारों को ही संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता देगा:

परन्तु यह उपबंधित है कि जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं, वहां नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इस प्रकार वितरित की जाएगी कि अलग-अलग यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित श्रमिकों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों के समान अनुपात में हो। नियोक्ता उस स्थिति में प्रत्येक संबंधित यूनियन के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में उसे आवंटित संरक्षित श्रमिकों की संख्या की सूचना देगा:

यह और भी उपबंधित है कि जहां इस उप-नियम के तहत किसी यूनियन को आवंटित संरक्षित श्रमिकों की संख्या संरक्षण चाहने वाले यूनियन के अधिकारियों की संख्या से कम है, वहां यूनियन संरक्षित श्रमिकों के रूप में मान्यता प्राप्त अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा। ऐसा चयन यूनियन द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) यदि इस नियम के अंतर्गत 'संरक्षित श्रमिकों' की मान्यता से संबंधित किसी मामले में नियोक्ता और किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त या अधिसूचित संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

54. धारा 91 के अंतर्गत पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत करने का तरीका- (1) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा प्रपत्र-XX में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा की जाएगी तथा उसके साथ उतनी प्रतियां संलग्न की जाएंगी, जितने शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षकार हैं।

(i) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत को शिकायत करने वाले कर्मकार द्वारा या कर्मकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो सुलह अधिकारी, मध्यस्थ,

न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, के समाधानप्रद रूप में साबित हो कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है।

55. धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत करने का तरीका- जहां कर्मकार किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, वहां, वह संहिता के अधीन किसी विवाद से संबंधित किसी कार्यवाही में, जिसमें कर्मकार प्रपत्र-XII में पक्षकार है, ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को, अथवा उस उद्योग में, जिसमें वह कर्मकार स्वयं नियोजित है, उसमें नियोजित किसी अन्य कर्मकार को, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

56. धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजक को प्राधिकृत करने का तरीका- जहां नियोजक किसी नियोजक संघ का सदस्य नहीं है, वहां वह संहिता के अधीन प्रपत्र-XII में ऐसे मामले में, जिसमें नियोजक पक्षकार है, उस उद्योग से संबंधित नियोजक संघ के किसी अधिकारी को, या ऐसे किसी अन्य नियोजक को, कार्यवाही में, प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो उसी उद्योग में संलग्न हो, जिसमें नियोजक संलग्न है।

57. धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत जांच करने का तरीका- शिकायत- (1) धारा 86 की उपधारा (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अंतर्गत किए गए अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जांच उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त या अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

नोटिस जारी करना: यदि दर्ज की गई शिकायत जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजकर सभी प्रासंगिक दस्तावेज और गवाहों, यदि कोई हों, के साथ निर्दिष्ट तिथि पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेगा और शिकायतकर्ता को निर्दिष्ट तिथि के बारे में सूचित करेगा।

(2) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत पर एकपक्षीय सुनवाई और निर्णय कर सकेगा।

(3) यदि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना लगातार दो तारीखों पर निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत खारिज की जा सकेगी।

परन्तु यह उपबंधित है कि शिकायतकर्ता और प्रतिपक्षी द्वारा संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकेंगे।

यह भी प्रावधान है कि जांच अधिकारी अपने विवेक से पक्षकारों या किसी भी पक्षकार को, जैसा भी मामला हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति देगा।

(4) प्राधिकार- धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने का प्राधिकार, यथास्थिति, प्रमाणपत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र द्वारा दिया जाएगा, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

(5) उपस्थित होने की अनुमति- कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का इरादा रखता है, उसे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश दर्ज करेगा और इनकार करने की स्थिति में उसके कारणों को शामिल करेगा और उसे रिकॉर्ड में शामिल करेगा।

(6) दस्तावेज की प्रस्तुति- शिकायत या शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते

हैं, या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है।

(7) जांच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख, जैसा भी मामला हो, अंकित करेगा, या अंकित करवाएगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो अंकित करना आवश्यक नहीं होगा।

(8) शिकायत पर विचार करने से इंकार करना-

(i) जांच अधिकारी धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है, यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जांच अधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि-

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) शिकायतकर्ता इस संहिता के उपबंधों के अधीन सीमाओं के कारण वर्जित है

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(ii) जांच अधिकारी ऐसी शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है, जो अन्यथा अधूरी है। वह शिकायतकर्ता से दोषों को दूर करने के लिए कह सकता है और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत में सुधार नहीं किया जा सकता है, तो वह दोषों को इंगित करते हुए शिकायत को वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है, तो दोषों को इंगित करते हुए उसे तुरंत वापस कर देगा। यदि दोषों को दूर कर दिए जाने के पश्चात् शिकायत पुनः प्रस्तुत की जाती है, तो धारा 85 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अभ्यावेदन की तारीख को प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा।

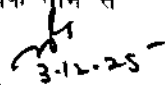
(9) सुनवाई का अभिलेख- जांच अधिकारी सभी मामलों में आदेश पारित करते समय ब्यौरे का उल्लेख करेगा, जिसमें शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपक्षी या विपक्षीगण का नाम और पता, किए गए अपराध का धारावार विवरण, विपक्षी का तर्क, निष्कर्ष और लगाए गए कारण और दंड का संक्षिप्त विवरण, हस्ताक्षर, तारीख और स्थान शामिल होगा।

(10) शक्तियों का प्रयोग- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जांच अधिकारी प्रक्रिया के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आदेशों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन किए जाएंगे जो जांच अधिकारी आवश्यक समझे, ताकि उनके सार पर प्रभाव न पड़े, ताकि उन्हें उसके समक्ष उपस्थित मामले के अनुसार ढाला जा सके, तथा सिवाय इसके कि जहां वे इस संहिता या इन नियमों के स्पष्ट उपबंधों के साथ विरोधाभासी हों।

11. आदेश या निर्देश कब दिया जाएगा- जांच अधिकारी मामले की सुनवाई हो जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली किसी भावी तिथि को आदेश या निर्देश देगा।

12. दस्तावेज का निरीक्षण- कोई भी व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता है या विरोधी पक्ष है या उसका प्रतिनिधि है, या उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति, किसी मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, जांच अधिकारी के पास दायर किसी शिकायत या किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेशानुसार एवं उनके नाम से


3.12.25
(अशोक कुमार)

सचिव (श्रम)

दिनांक 03/12/2025

संख्या 15(12)/Lab/2022.4473-4479

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, दिल्ली।

2. माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,

आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

3. माननीय श्रम मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

4. सभी संयुक्त श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त, जीएनसीटीडी हितधारकों को इस अधिसूचना के बारे में सूचित करें।

5. उप सचिव (जीएडी) को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ।

6. उप निदेशक (आईटी), श्रम विभाग, जीएनसीटीडी इसे श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

7. गार्ड फाइल।

प्रपत्र - 1
(नियम 3 देखें)

(समाधान के दौरान किया गया समझौता ज्ञापन/ या नियोक्ता और उसके कर्मचारियों के बीच समाधान कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया समझौता) पक्षों के नाम:

.....नियोक्ता(ओं) का प्रतिनिधित्व करना;

.....श्रमिकों का प्रतिनिधित्व; मामले का संक्षिप्त विवरण

निपटान की शर्तें

.....

.....

साक्षी	
1	
2	
3	
सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर	

यदि नियोक्ता और उसके कर्मचारियों के बीच समझौता पूर्व में हुई सुलह के अलावा किसी अन्य तरीके से हुआ हो तो ज्ञापन की प्रति संबंधित उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

प्रपत्र - 2
(नियम 9(2) देखें)
[लेखा परीक्षकों की घोषणा का प्रारूप]

अधोहस्ताक्षरी को संघ की सभी लेखा-बहियों तक पहुंच प्राप्त है, तथा पूर्वोक्त विवरण की जांच करने और उससे संबंधित खाता वाउचरों के साथ उसका सत्यापन करने के बाद, मैं प्रमाणित करता हूं कि संघ ने अपने सदस्यता रजिस्टर और खातों को उचित रूप से बनाए रखा है और सदस्यों ने संघ को अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाते के पूर्वोक्त विवरण में दर्शाया गया है, जो कि टिप्पणियों, यदि कोई हो तो, के अधीन है।

लेखा परीक्षक.

प्रपत्र - 3
(नियम 10 देखें)
[शपथ पत्र]

मैं, _____ पुत्र श्री _____ निवासी _____ आयु वर्ष, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से

प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ:-

1. कि मैं (ट्रेड यूनियन का नाम) का निर्वाचित/नामित (पद का नाम) हूँ, जिसका प्रधान कार्यालय (ट्रेड यूनियन का पता) पर स्थित है।
2. यह कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ".....यूनियन (यूनियन का नाम)" नाम से कोई यूनियन/एसोसिएशन दिल्ली या भारत में कहीं भी पंजीकृत नहीं है।
3. कि यूनियन के नाम के किसी भी वैध दावेदार के मामले में, हम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, रा.रा.क्षे.दि.स, दिल्ली के निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र को वापस कर देंगे और यूनियन का नाम बदल देंगे।
4. कि किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को कभी भी भारत के न्यायालयों द्वारा नैतिक पतन से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और कारावास की सजा नहीं दी गई है।
5. कि प्रपत्र और अनुसूचियों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के अनुसार दिए गए सभी विवरण सत्य हैं।
6. संघ का कार्यक्षेत्र ----- (प्रतिष्ठान का नाम) के कर्मचारियों तक सीमित होगा।
7. ----- (प्रतिष्ठान का नाम) में ----- कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से ----- कर्मचारी हमारे संघ के सदस्य हैं।
8. कि मैं रजिस्ट्रार द्वारा इस आवेदन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित अन्य दस्तावेज और/या जानकारी प्रस्तुत करूंगा।
9. कि यह मेरा सच्चा कथन है और इसमें कुछ भी छिपा नहीं है तथा इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है।
10. कि यदि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य, तुच्छ या गलत पाया जाता है तो प्राधिकारी मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. कि सत्यापन के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों की सूची सत्यापित आधार संख्या सहित हलफनामे के साथ संलग्न है तथा किसी भी सदस्य को आधार साझा करने के लिए बाध्य या बाध्य नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी सत्यापन:-

(तारीख) ----- को (स्थान) पर यह सत्यापित किया गया कि उपर्युक्त शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

अभिसाक्षी।

प्रपत्र - 4

(नियम - 11 देखें)

(परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण)

वर्ष 20.....के..... माह की तारीख को देनदारियों और परिसंपत्तियों का विवरण।

[यदि संघ पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक वर्ष से कम समय पहले अस्तित्व में आया है तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है।]

देनदारियां	रु.	संपत्ति	रु.
सामान्य निधि की राशि राजनीतिक निधि की राशि अन्य देनदारियों से ऋण (निर्दिष्ट किया जाए) कुल देनदारियाँ		नकद कोषाध्यक्ष के हाथों में सचिव के हाथों में के हाथों में बैंक में बैंक में नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूतियाँ बकाया को ऋण अचल संपत्ति	
		सामान और फर्नीचर, ... अन्य परिसंपत्तियाँ (निर्दिष्ट की जाएँगी) कुल परिसंपत्तियाँ	

प्रतिभूतियों की सूची			
विवरण	न्यूनतम मूल्य	बाजार मूल्य	हाथों में
हस्ताक्षरित:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

प्रपत्र - 5

(नियम 12 देखें)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन।

वर्ष 20.....के..... माह की तारीख

1. हम निम्नलिखित नाम से ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं
2. यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता है
3. यूनियन 20 के दिन को अस्तित्व में आई
4. यूनियन उद्योग (या पेशे) में लगे नियोक्ता/श्रमिकों का एक संघ है।
5. ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा किया जाएगा और उसके साथ—*
 - (क) निर्धारित प्रपत्र और तरीके से शपथ-पत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा;
 - (ख) ट्रेड यूनियन के नियमों की प्रति, साथ ही ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा ऐसे नियमों को अपनाने वाले संकल्प की प्रति;
 - (ग) ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा आवेदकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत करने वाले संकल्प की प्रति; और
 - (घ) ट्रेड यूनियन के मामले में, जो एक महासंघ या ट्रेड यूनियनों का एक केंद्रीय संगठन है, ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्य संगठन के सदस्यों द्वारा अलग-अलग बैठक करके फेडरेशन या ट्रेड यूनियनों का एक केंद्रीय संगठन बनाने के लिए सहमत होकर अपनाए गए संकल्प की प्रति।
 - (ङ) ट्रेड यूनियन के सभी सदस्यों की सूची।
6. हमें यह आवेदन करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है**

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षर	व्यवसाय
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

* स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प का अर्थ है, ट्रेड यूनियन के मामले में, जो एक महासंघ या ट्रेड यूनियनों का एक केंद्रीय संगठन है, प्रत्येक सदस्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अलग-अलग बैठक करके अपनाए गए संकल्प।

** यहां बताएं कि क्या यह प्राधिकार संघ की आम बैठक के प्रस्ताव द्वारा दिया गया था, या नहीं, या किसी अन्य तरीके से दिया गया था।

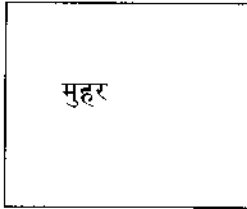
प्रपत्र - 6

(नियम 12 देखें)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

संख्या.....

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि को
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत आज दिनांक..... (माह) 20 को पंजीकृत
किया गया है।



प्रपत्र - 7
ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रार
[नियम 13(1) देखें]

1. क्रमांक
2. पंजीकरण की तिथि।
3. (क) आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम।
(ख) आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय।
(ग) आवेदन करने वाले सदस्यों के पते।
4. ट्रेड यूनियन का नाम।
5. ट्रेड यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता।
6. ट्रेड यूनियन की स्थापना की तिथि।
7. ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी- पदनाम, नाम, आयु, व्यवसाय, पता।
8. रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
9. (क) क्या धारा 16 के अंतर्गत पृथक निधि का प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो किस तारीख से
(ख) रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
- 10 (क) नियमों में परिवर्तन की सूचना की तिथि।
(ख) नियमों में परिवर्तन के पंजीकरण की तिथि तथा ट्रेड यूनियन के सचिव को इसकी अधिसूचना।
(ग) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,
- 11 (क) पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की पंजीकरण तिथि।
(ख) ट्रेड यूनियन का बदला हुआ पता।
(ग) यदि बदला हुआ पता दूसरे राज्य में है तो क्या पंजीकरण का विवरण दूसरे प्रांत के रजिस्ट्रार को भेजा गया है।
(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,
- 12 (क) नाम परिवर्तन के पंजीकरण की तिथि।
(ख) ट्रेड यूनियन का नाम जैसा कि परिवर्तित हुआ है।
(ग) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर।
- 13 (क) एकीकरण के पंजीकरण की तिथि
(ख) सम्मिलित संघ का नाम
(ग) एकीकृत संघ की पंजीकरण संख्या
(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,
- 14 (क) धारा 9(5)(i) के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन की तिथि।
(ख) धारा 9(5)(iii) के प्रावधान के तहत रद्दीकरण या वापसी के लिए नोटिस देने की तारीख।
(ग) पंजीकरण वापस लेने या रद्द करने के आदेश जारी करने की तिथि।
(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,
- 15 (क) (1) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम
(2) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय।
(3) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों का पता।
(ख) विघटन के पंजीकरण की तिथि और उस आशय का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि
(ग) धारा 25 (2) के अंतर्गत निधियों के वितरण का आदेश देने वाली रजिस्ट्रार की कार्यवाही की संख्या और तारीख, यदि कोई हो।
(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,

प्रपत्र - 8

(नियम 19 देखें)

(सुलह अधिकारी द्वारा निपटाए न गए मामले में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

..... न्यायाधिकरण (यहां संबद्ध क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायाधिकरण का नाम बताएं)

निम्नांकित के मामले में:

..... आवेदक

पता.....

बनाम

..... प्रतिवादी

पता.....

उपर्युक्त आवेदक निम्नलिखित कथन करना चाहता है:- (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियां बताई जाएं)।

आवेदक प्रार्थना करता है कि कृपया इस विवाद को स्वीकार कर उचित निर्णय पारित किया जाए।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रपत्र - 9
(नियम 22 देखें)

भाग क

31 जुलाई, 20..... को समाप्त वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 के तहत निर्धारित वार्षिक रिटर्न

1. संघ का नाम
 2. संघ का पता
 3. पंजीकृत मुख्यालय
 4. पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख
 5. उद्योगों का वर्गीकरण (यह दर्शाया जाना चाहिए कि संघ निम्नलिखित चार श्रेणियों में से किस श्रेणी में आता है) :-
 - (क) सार्वजनिक क्षेत्र - केन्द्रीय क्षेत्र;
 - (ख) सार्वजनिक क्षेत्र - राज्य क्षेत्र;
 - (ग) निजी क्षेत्र - केन्द्रीय क्षेत्र; तथा
 - (घ) निजी क्षेत्र - राज्य क्षेत्र).
 6. अखिल भारतीय निकाय/संघ का नाम जिससे सम्बद्ध हैं।
 7. सम्बद्धता संख्या।
 8. वर्ष के दौरान भुगतान किया गया सम्बद्धता शुल्क।
 9. सम्बद्धता शुल्क के भुगतान की रसीद की संख्या और तारीख।
 10. प्रति माह सदस्यता शुल्क
 11. वर्ष की शुरुआत में बही में दर्ज सदस्यों की संख्या।
 12. वर्ष के दौरान भर्ती हुए सदस्यों की संख्या।
 13. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या।
 14. वर्ष के अंत में बही में दर्ज सदस्यों की संख्या (अर्थात 31 मार्च 19 को 03)
 - पुरुष
 - महिला -
 - कुल -
 15. राजनीतिक कोष में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या।
 16. पूरे वर्ष के लिए अपना अंशदान देने वाले सदस्यों की संख्या।
- इस रिटर्न के प्रेषण की तिथि तक ट्रेड यूनियन के नियमों की संशोधित प्रति संलग्न है।
17. रिटर्न का भाग ख विधिवत पूरा किया गया है।

सचिव

भाग ख

31 जुलाई 20..... को देनदारियों और परिसंपत्तियों का विवरण

देनदारियां	रुपये	पैसे	परिसंपत्तियां-	रुपये	पैसे
------------	-------	------	----------------	-------	------

सामान्य निधि राशि निम्नांकित से राजनीतिक निधि ऋण राशि	रोकड़- कोषाध्यक्ष के हाथों में सचिव के हाथों में बैंक में बैंक में नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूतियाँ-अप्रदत्त सदस्यता देय- *(क) वर्ष *(ख) पिछले वर्ष का ऋण- *(क) अधिकारी *(ख) सदस्य *(ग) अन्य
निम्नांकित के कारण ऋण	

अन्य देयताएं (निर्दिष्ट की जाएं) अचल संपत्ति
सामान और फर्नीचर
अन्य परिसंपत्तियाँ (निर्दिष्ट की जाएँगी)
कुल देनदारियाँ कुल परिसंपत्तियाँ.....
प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	लेखा तैयार किए जाने की तारीख को बाजार मूल्य	निम्नांकित के हाथों में
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	

कोषाध्यक्ष
नियुक्त अधिकारी

नाम	जन्म तिथि	निजी पता	व्यक्तिगत व्यवसाय	संघ में धारित पद का नाम	वह तिथि जिस दिन कॉलम 5 में नियुक्ति की गई	कार्यकारी तिथि की सदस्यता के अलावा धारित अन्य पद।
1	2	3	4	5	6	7

चुनाव
पदाधिकारियों के पिछले चुनाव की तिथि पदाधिकारियों के अगले चुनाव की तिथि

सचिव

प्रपत्र-10

[नियम 32 देखें]

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम
पता

दिनांक : वर्ष 20.....के.....महीने की तारीख।

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को सूचित करता

हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा इरादा इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में श्रमिकों पर लागू सेवा की शर्तों में दिनांक से अनुलग्नक में निर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को प्रभावी करने का है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

अनुलग्नक

(यहां किए जाने वाले परिवर्तन/परिवर्तनों का उल्लेख करें)

प्रतिलिपि अग्रेषित की गई:

1. पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सचिव, यदि कोई हो।
2. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन।

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता) [नियम 33 (1) देखें]

निम्नांकित पक्षों के बीच

..... नियोक्ता (नियोक्ता) का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार का नाम, और

..... श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकार का नाम

पक्षों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि निम्नलिखित विवाद को
की मध्यस्थता के लिए सौंपा जाए।.....

[यहां मध्यस्थ(थों) का नाम और पता निर्दिष्ट करें]।

(i) विवाद में विशिष्ट मामले।

(ii) विवाद में शामिल पक्षों का व्यौरा, जिसमें शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता शामिल है।

(iii) यदि कर्मचारी स्वयं विवाद में शामिल है तो उसका नाम या संबंधित कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम, यदि कोई हो।

(iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या।

(v) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या।

*हम इस बात पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थों का बहुमत निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा, यदि मध्यस्थ(थों) की राय समान रूप से विभाजित हो तो वे किसी अन्य व्यक्ति को निर्णायक के रूप में नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ अपना निर्णय की अवधि के भीतर सुनाएंगे।

(यहां पक्षों के बीच सहमत अवधि निर्दिष्ट करें) रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन की तारीख से या लिखित रूप में हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त समय के भीतर।

यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ स्वतः ही रह हो जाएगा और हम नए मध्यस्थ के लिए बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

पक्षों के हस्ताक्षर [नियोक्ता का प्रतिनिधित्व/कर्मचारी/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व।

साक्षी

1.

2.

प्रति प्रेषित:

(i) सुलह अधिकारी [यहां संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता दर्ज करें]।

(ii) प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग।

प्रपत्र-12

(नियम 35, 55, 56 देखें)

(किसी श्रमिक, श्रमिक समूह, नियोक्ता, नियोक्ता समूह द्वारा इस संहिता के अधीन प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किए जाने का प्राधिकार)।

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)

निम्नलिखित मामले में: (कार्यवाही का नाम बताएं):

.....श्रमिक

बनाम

.....

.....नियोक्ता

मैं/हम श्री/सर्वश्री (यदि प्रतिनिधि एक से अधिक हैं) 1.....2.....3 को उपरोक्त मामले में मेरा/हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता/करते हैं।

दिनांक : वर्ष 20.....के.....महीने की तारीख।

प्रतिनिधि(यों) को नामित करने वाले व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर स्वीकृत पता

प्रपत्र-13

[नियम 36, 37 देखें]

औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के लिए पद की शपथ का प्रपत्र

मैं, ए, बी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त होने पर ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करता हूँ कि मैं औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगा और मैं संविधान और देश के कानूनों की मर्यादा बनाए रखूँगा।

हस्ताक्षर

स्थान: दिनांक:

प्रपत्र-14

(नियम 38 देखें)

(सुलह अधिकारी द्वारा निपटाए न गए मामले में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

..... न्यायाधिकरण के समक्ष (यहां संबद्ध क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायाधिकरण का नाम बताएं)

निम्नलिखित मामले में:

..... आवेदक

पता.....

बनाम

..... प्रतिवादी

पता.....

उपर्युक्त आवेदक निम्नलिखित कथन करना चाहता है:- (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियां बताई गई हैं)। आवेदक प्रार्थना करता है कि कृपया इस विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार किया जाए और उचित निर्णय पारित करने का अनुरोध करता है।

दिनांक.....

स्थान

प्रपत्र-15

[नियम 39 देखें]

(संघ (संघ का नाम) /श्रमिकों के समूह द्वारा दी जाने वाली हड़ताल की सूचना) श्रमिकों के
पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम

दिनांक : वर्ष 20.....के.....महीने की तारीख।

सेवा में

(नियोक्ता का नाम)

प्रिय महोदय/महानुभावों,

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार मैं/हम आपको सूचित करते हैं कि मैं/हम अनुलग्नक में बताए गए कारणों से, वर्ष 20.....के.....महीने की तारीख को हड़ताल करने का प्रस्ताव करते हैं/हम हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करते हैं।

भवदीय, (संघ के सचिव)

दिनांक को आयोजित बैठक में विधिवत निर्वाचित
पांच कर्मचारी प्रतिनिधि, संलग्न प्रस्ताव के अनुसार।]

अनुलग्नक

मामले का विवरण

प्रतिलिपि प्रेषित ;

- 1) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त।
- 2) श्रम आयुक्त, जीएनसीटी, दिल्ली।

प्रपत्र-16

[नियम 40 देखें]

(किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नाम

.....

पता

.....

दिनांक : वर्ष 20.....के.....महीने की तारीख

इस संहिता की धारा 62(6) के प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम सभी संबंधितों को सूचित करता/करते हैं कि मेरा/हमारा इरादा अनुलग्नक में बताए गए कारणों से अपने/हमारे प्रतिष्ठान के

.....विभाग(गों),
अनुभाग(गों) में तालाबंदी करने का है।

हस्ताक्षर

पदनाम

.....

अनुलग्नक

1.	कारणों का विवरण
----	-----------------

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- (1) पंजीकृत यूनियन के सचिव, यदि कोई हो
- (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी
- (3) श्रम आयुक्त, रा. रा. क्षेत्र. दि. स., दिल्ली
- (4) महानिदेशक श्रम ब्यूरो का कार्यालय।

प्रपत्र-17

(नियम 41,43 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा उपयुक्त सरकार को दी जाने वाली

छंटनी/तालाबंदी की सूचना)

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। आवश्यकता पड़ने पर नीचे निर्धारित प्रारूप में कागज पर प्रस्तुत करें)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम

.....

श्रमिक पहचान संख्या/पंजीकरण संख्या

दिनांक

(नोट: तालाबंदी/छंटनी की सूचना उपयुक्त सरकार को तालाबंदी/छंटनी शुरू होने से क्रमशः 60 दिन और 30 दिन पहले दी जाएगी)

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, रा. रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार

पटना

1. * (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70(सी) के तहत, मैं/हम* आपको सूचित करते हैं कि

मैंने/हमने कुल श्रमिकों** में से (दिनांक/माह/वर्ष) से श्रमिकों** की छंटनी करने का निर्णय लिया है

या

* (बंद करना) (ख) इस संहिता की धारा 74(1) के तहत, मैं/हम* आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम) को (दिनांक/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी उनकी संख्या (श्रमिकों की संख्या) है।

2 छंटनी/बंद करने का कारण है

3. * संबंधित कर्मचारी(रियों) को (दिनांक/माह/वर्ष) को इस संहिता की धारा 70(ए)*/धारा 75(1)* के अंतर्गत अपेक्षित एक माह का लिखित नोटिस दिया गया था।

या

* संबंधित कर्मचारी(रियों) को इस संहिता की धारा 70(ए)*/धारा 75(1)* के अंतर्गत अपेक्षित नोटिस के बदले में (दिनांक/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया है।

4. *मैं/हम* एतद्वारा घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारी(रियों) को इस संहिता की धारा 70*/धारा 75* के अंतर्गत उनके सभी देय राशियों के साथ-साथ उन्हें देय मुआवजे का भुगतान नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले या उसके बाद कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

या

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है, और मैं/हम संबंधित कानूनों के अंतर्गत उनके सभी देय राशियों के साथ-साथ उन्हें देय मुआवजे का भुगतान करेंगे।

5. (छंटनी) मैं*/हम* घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारी(कर्मचारियों) की इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छंटनी कर दी गई है*/की जाएगी*।

6. मैं*/हम* घोषणा करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उसका विवरण संलग्न है।

7. मैं*/हम* घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नकों में मेरे*/हमारे* द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मैं*/हम* इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री नहीं छिपाई गई है।

भवदीय,

(नियोक्ता का नाम/***सील सहित अधिकृत प्रतिनिधि)

(*जो लागू न हो उसे काट दें।)

(**संख्या को अंकों और शब्दों दोनों में दर्शाएं)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी)

प्रतिलिपि: (1) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहानिदेशक श्रम ब्यूरो के कार्यालय को (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए)

(2) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त को।

(3) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत पंजीकृत यूनियनों/श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधियों को।

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को निलंबन/निलंबन जारी रखने/छंटनी/बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन]

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। अनिवार्य होने के मामले में नीचे निर्धारित प्रारूप में कागज पर)

औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(नोट: रा.रा.क्षे.दि.स. को आवेदन नीचे बताए अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा:

निलंबन: इच्छित निलंबन से कम से कम 15 दिन पहले

निलंबन की निरंतरता - पिछले निलंबन की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले।

छंटनी - छंटनी की इच्छित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले

समापन - समापन की इच्छित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले)

सेवा में,

सचिव (श्रम) रा.रा.क्षे.दि.स. नई दिल्ली

1. *(निलंबन) (क). औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अंतर्गत, मैं*/हम* मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) में कार्यरत कुल श्रमिकों** में से श्रमिकों** को (दिनांक/माह/वर्ष) से छंटनी करने की अनुमति के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

या

निलंबन जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(3) के अंतर्गत मैं*/हम* अपने प्रतिष्ठान में निलंबित किये गये कुल श्रमिकों में से (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है) श्रमिकों का निलंबन (दिनांक/मास/वर्ष) से जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

या

(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत, मैं*/हम* मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) में कार्यरत कुल श्रमिकों में से श्रमिकों की (दिनांक/मास/वर्ष) से अपेक्षित छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

या

(बंद करना) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80(1) के अंतर्गत, मैं/हम* आपको सूचित करते हैं कि मैं*/हम* उपक्रम (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम) (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) को दिनांक..... से बंद करना चाहते हैं। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी उनकी संख्या (श्रमिकों की संख्या) है।

2. * (निलंबन/निलंबन जारी रखना) संबंधित कर्मचारी(रियों) को इस संहिता की धारा 78(2)*/धारा 78(3)* के अंतर्गत अपेक्षित लिखित नोटिस (दिनांक/मास/वर्ष) को दिया गया।

या

* (छंटनी/बंद) संबंधित कर्मचारी (रियों) को इस संहिता की धारा 79*/धारा 80* के अंतर्गत अपेक्षित एक माह का लिखित नोटिस (दिनांक/मास/वर्ष) को दिया गया।

या

* (छंटनी/बंद) कर्मचारी (रियों) को इस संहिता की धारा 79*/धारा 80* के अंतर्गत अपेक्षित नोटिस के बदले में (दिनांक/मास/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया है।

3. प्रभावित कर्मचारी (रियों) का विवरण अनुलग्नक II में है।
4. (छंटनी) मैं*/हम* एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारियों को इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छंटनी की जाएगी।
5. मैं*/हम* एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारी (रियों) को नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले या उसके बाद इस संहिता की धारा 78(10)/ धारा 79/ धारा 80 के साथ पठित धारा 67 के अंतर्गत उन्हें देय सभी बकाया और मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

या

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है, और मैं/हम* संबंधित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ-साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

6. मैं*/हम* एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है, और यदि हाँ, तो उसका विवरण संलग्न किया गया है।
7. मैं*/हम* एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नकों में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मैं*/हम* इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री नहीं छिपाई गई है।

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय,

(नियोक्ता/ *** प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम मुहर सहित)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(** संख्या को अंकों और शब्दों दोनों में दर्शाएं)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी)

(कृपया प्रत्येक आइटम के संदर्भ में उत्तर दें)

1	उपक्रम का नाम, पूरा डाक पता, ईमेल, मोबाइल और लैंडलाइन। उपक्रम का नाम, पूरा डाक पता, ईमेल, मोबाइल और लैंडलाइन।	
2	उपक्रम की स्थिति- (i) क्या यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/आदि है, (ii) क्या यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म है। (iii) क्या उपक्रम लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत है और यदि हां, तो लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्राधिकारी का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या।	
3	(क) एमसीए नंबर (ख) जीएसटीएन नंबर	
4	(i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन - (ii) पिछले बारह महीनों के लिए माहवार उत्पादन के आंकड़े,	
5	पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट, लाभ और हानि खातों सहित प्रतिष्ठान/उपक्रम की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।	संलग्न की जानी है
6	अंतर-संबंधित कम्पनियों या समान प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों के नाम।	
7	पिछले तीन वर्षों में किए गए निलंबन/छंटनी का व्यौरा, जिसमें ऐसे निलंबन/छंटनी की अवधि, प्रत्येक ऐसे निलंबन/छंटनी/निलंबन जारी रहने में शामिल कामगारों की संख्या शामिल है।	
8	कोई अन्य प्रासंगिक विवरण जो निलंबन/निलंबन जारी रखने/छंटनी/बंद करने से संबंधित हो।	

अनुलग्नक II

(प्रभावित श्रमिकों का विवरण)

क्र. सं.	यूएन/सीएमपीएफओ	कार्मिक का नाम	श्रेणी (उच्च कुशल/कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल)	वह तिथि जिससे आप उक्त प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियुक्ता के साथ सेवा में हैं	आवेदन की तिथि पर वेतन	टिप्पणी
1						
2						
3						

प्रपत्र-19

(नियम 52 देखें)

इस संहिता के तहत पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता को धारा 89 की उपधारा (4) के तहत अपराध के संयोजन के लिए नोटिस।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उपधारा 1 के तहत अधोहस्ताक्षरी और कम्पाउंडिंग अधिकारी एतद्वारा सूचित करते हैं कि आपके खिलाफ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है:-

भाग - 1

1. अपराधी नियोक्ता का नाम और पता -
2. प्रतिष्ठान का पता
3. अपराध का विवरण
4. संहिता की वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है
.....
5. अपराध के समाधान के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि
.....

भाग - 2

आपको सलाह दी जाती है कि आप औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 (1) के अनुसार अपराध के संयोजन के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा कराएं, साथ ही इस नोटिस के भाग-III में विधिवत भरा गया आवेदन भी जमा कराएं।

यदि आप निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा धारा के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

(कंपाउंडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान

भाग-3

अपराध के संयोजन के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के अंतर्गत आवेदन

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत अपराध करने वाले नियोक्ता का नाम उल्लेखित किया जाए)
.....
2. आवेदक का पता.....
3. अपराध का विवरण
.....
.....
4. संहिता की वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है
.....
5. जमा की गई चक्रवृद्धि राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार रसीद संलग्न करें)
.....
6. यदि उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन दायर किया गया है तो उसका विवरण दिया जाए
.....
7. क्या अपराध प्रथम अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पूर्व कोई अन्य अपराध किया है,

यदि किया है तो अपराध का पूर्ण विवरण

.....
.....
.....

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो

.....
.....

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर)

आवेदक (नाम और

प्रपत्र-20

(नियम 54 देखें)

संदर्भ संख्या के तहत.....के मामले में सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के समक्ष (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत) शिकायत:

क..... शिकायतकर्ता (ओं);

बनाम

ख.....विरोधी पक्ष

पता :

याचिकाकर्ता यह शिकायत करना चाहते हैं कि विपक्षी पक्ष औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(यहां संक्षेप में उन विवरणों को दर्शाया गया है, जो यह दर्शाते हैं कि कथित उल्लंघन किस प्रकार हुआ है और वे आधार जिन पर प्रबंधन के आदेश या कार्य को चुनौती दी गई है।)

तदनुसार शिकायतकर्ता प्रार्थना करता है कि सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण उपरोक्त शिकायत पर निर्णय लेने की कृपा करें तथा उस पर ऐसा आदेश या एकाधिक आदेश पारित करें जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के अंतर्गत शिकायत और उसके अनुलग्नक की अपेक्षित संख्या यहां प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 20.....के..... माह की तारीख शिकायतकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पूरी निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है और ऊपर दिए गए पैराग्राफ में जो कुछ भी कहा गया है वह मुझे प्राप्त हुई सूचना के आधार पर कहा गया है और मुझे विश्वास है कि यह सत्य है।

इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20.....के..... माह की तारीख को हस्ताक्षर किए गए हैं।

सत्यापन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान।